



# JEEVIKA

Rural Development Department, Government of Bihar

## Bihar Rural Livelihoods Promotion Society State Rural Livelihoods Mission, Bihar



Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna- 800 021; Ph.:+91-612-250 4980; Fax:+91-612-250 4960, Website:www.brlps.in

पत्रांक :- BRLPS/Proj/SD/685/14/4756

दिनांक : 05/01/2022

कार्यालय आदेश

ग्रामीण गरीबी निवारण योजना ( Village Poverty Reduction Plan-VPRP) के निर्माण एवं ग्राम पंचायत विकास योजना से एकीकरण तथा समूह सदस्यों द्वारा जीविकोपार्जन गतिविधियों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक – D.O. No. M 11015/ 298/2021CB दिनांक 21 - 10-2021 के आलोक में जन केन्द्रित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोक योजना अभियान के तहत विभिन्न विभागों के समन्वय से ग्राम पंचायत विकास योजना बनाए जाने का कार्य किया जाना है। इसके तहत मुख्य रूप से ग्राम पंचायत विकास योजना ( GPDP ) के निर्माण के दौरान समुदाय आधारित संगठनों ( स्वयं सहायता समूह एवं उच्चस्तरीय संगठन) के माध्यम से ग्रामीण गरीबी निवारण परियोजना ( VPRP) का निर्माण कराया जाना है। साथ ही साथ जीविका के समूह सदस्यों द्वारा किये जाने वाले जीविकोपार्जन गतिविधियों का सर्वेक्षण किया जाना है।

ग्रामीण गरीबी निवारण योजना( VPRP) तथा समूह सदस्यों द्वारा जीविकोपार्जन सम्बंधित सर्वेक्षण :-

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना सम्बंधित गाँव में रहने वाली समुदाय की मांग पर आधारित योजना है। इन योजनाओं को स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों और ग्राम संगठनों के द्वारा तैयार किया जाता है। दोनों स्तरों पर तैयार योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में शामिल कर मासिक रूप से पंचायतों के सहयोग से क्रियान्वयित करवाना है। साथ ही साथ वर्तमान आजीविका स्थिती संधारण हेतु जीविका एप के माध्यम से आंकड़ा संग्रहित कर जीविका एप पर प्रविष्टी करना है। इस प्रक्रिया के तहत निम्न कार्य किये जाने हैं :-

- समूह स्तर पर योजना क्रमशः 1.हकदारी मांग योजना ( Entitlements Plan ) और 2. आजीविका मांग योजना ( Livelihoods Plan) बनाया जाना है। जिसका समेकन ग्राम संगठन के स्तर पर किया जाना है। साथ ही साथ समूह सदस्यों द्वारा किये जा रहे किये जा रहे जीविकोपार्जन सम्बंधित गतिविधियों का सर्वेक्षण जीविका एप के माध्यम से किया जाना है।
- ग्राम संगठन/ ग्राम स्तर के स्तर पर भी दो योजना का निर्माण क्रमशः 1.सामुदायिक स्तर की योजनायें (Public goods & services) और 2. सामाजिक विकास संबंधित योजनायें/ सामाजिक मुद्दें (Social Issue ) से सम्बंधित मांग योजना तैयार किया जाना है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर चारो योजनाओं की प्राथमिकता तय करते हुए उनका समेकन किया जाना है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय से प्राप्त सभी योजनाओं का समेकन करते हुए ग्राम सभा में समर्पित किया जाना है ताकि उन्हें ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में योजना के रूप में प्रस्तावित किया जा सके।
- सम्बंधित योजनाओं का निर्माण के क्रम में जानकारी दर्ज करने हेतु प्रपत्र के स्थान पर NRLM/ VPRP मोबाइल एप्प का उपयोग किया जाना है। अतः SHG, VO, एवं ग्राम पंचायत के स्तर पर योजनाओं के निर्माण की समस्त जानकारी NRLM /VPRP मोबाइल एप्प में ही अंकित किया जाएगा।
- NRLM VPRP मोबाइल एप्प – Version :1.0(P) Google Play Store से Download किया जा सकता है। NRLM VPRP मोबाइल एप्प के उपयोग के लिये User ID एवं Password प्रखंड परियोजना प्रबंधक द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

- समूह सदस्यों के जीविकोपार्जन संबंधित गतिविधियों के सर्वेक्षण हेतु जीविका जीविकोपार्जन सर्वे अप्प में प्रविष्टी की जायेगी। ( आजीविका सर्वेक्षण प्रपत्र – अनुसूची – ३ )

**संकलन एवं प्रविष्टी कार्य :-**

- जिला स्तर पर समन्वय हेतु उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें पंचायती राज पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ( ICDS), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी -मनरेगा, एवं जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक शामिल होंगे। समिति प्रति सप्ताह ग्राम गरीबी निवारण योजना के निर्माण एवं प्रगति की समीक्षा करेगी।
- ग्राम संगठन स्तर पर दो CRP का चयन किया जाना है, जो समूह स्तर पर हकदारी एवं आजीविका संबंधित योजनाएं एवं ग्राम संगठन स्तर पर सामुदायिक स्तर की योजनायें ( Public goods & services) और सामाजिक विकास संबंधित योजनायें/ सामाजिक मुद्दें (Social Issue ) से संबंधित जानकारी एकत्र कर NRLM VPRP app पर अपलोड करेंगे/करेंगी। CRP के पास अपना Android Mobile का होना आवश्यक है। सभी CRP का दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित की जायेगी। उनके द्वारा समूह सदस्यों के जीविकोपार्जन सम्बंधित सर्वेक्षण एप के माध्यम से किया जाएगा।
- CRP को समूह स्तर से समूह सदस्य से योजना से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने एवं उसे एप्प पर अपलोड करने के लिए प्रति समूह राशि रुपये 150/- (125/- रुपये VPRP एवं 25 रुपये मात्र जीविका लाइवलीहुड एप पर प्रविष्टी ) एवं ग्राम संगठन पर योजना से सम्बंधित जानकारी एकत्रित करने एवं उसे एप्प पर अपलोड करने के लिए प्रति ग्राम संगठन राशि रुपये – 200/- मात्र मानदेय दिया जाएगा।
- BPIU द्वारा, समूह स्तर से VO को समर्पित किये गये योजना की जानकारी की एक प्रति NRLM VPRP app से डाउनलोड कर प्रत्येक VO में सुरक्षित रखा जाना है। इसी प्रकार ग्राम संगठन के स्तर से GP को समर्पित किये गये योजना की जानकारी की एक प्रति NRLM VPRP app से डाउनलोड कर प्रत्येक CLF में सुरक्षित रखा जाना है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वय हेतु प्रति पंचायत एक GPDP फैसिलिटेटर ( कर्मी / कैडर) का चयन कर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को देंगे जो VPRP को पंचायत से समन्वयस्थापित कर GPDP में शामिल करवाएंगे। इस कार्य को पूर्ण करने संबंधित CRP को 5 दिवस का CRP के दर से भुगतान किया जा सकता है।
- पंचायत स्तर पर एकत्र VPRP योजना को e-gramswaraj के पोर्टल पर प्रविष्टी किया जाना है। यह कार्य प्रखंड परियोजना प्रबंधक के सहयोग से प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

**प्रशिक्षण**

सभी एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन निम्न तालिका के अनुरूप किया जाएगा :-

| प्रतिभागी  | सहयोग कर्ता   | समयसीमा      |
|--|---|--------------|
| प्रबंधक क्षमतावर्धन, प्रबंधक सामाजिक विकास, प्रबंधक कृषि, प्रबंधक गैर कृषि, एवं प्रबंधक पशुधन / जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी | राज्य संसाधन सदस्य/ राज्य स्तरीय दल /प्रबंधक सामाजिक विकास            | 6 जनवरी 2022 |
| प्रखंड परियोजना प्रबंधक / LHS/ AC/ CC ( GPDP फैसिलिटेटर  | प्रबंधक सामाजिक विकास, प्रबंधक क्षमतावर्धन, प्रबंधक कृषि, प्रबंधक गैर | 7जनवरी 2022  |

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| सहित )                     | कृषि, एवं प्रबंधक पशुधन  |                  |
| VO/CLF सामाजिक कार्य समिति | सभी AC/ CC/ CF/ CLF प्रबंधक द्वारा नोडल जिला प्रशिक्षण पदाधिकारी के देखरेख में । (अनुसूची 1) | 10 जनवरी 2022 तक |
| CRP                        | LHS/AC/ CC   | 14 जनवरी 2022    |

**अनुश्रवण एवं व्यय :-**

- कार्य की गुणवत्ता एवं अनुश्रवण के लिए AC/CC द्वारा CLF/ VO सदस्य एवं सामाजिक कार्य समिति को प्रबंधक क्षमतावर्धन जिला स्तर पर प्रशिक्षण पदाधिकारी के सहयोग से यह कार्य सुनिश्चित करेंगे ।
- ग्रामीण गरीबी निवारण योजना के निर्माण व उसे GPDP में शामिल करने हेतु कैडर एवं स्टाफ का एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु कैडर/ कर्मियों के निर्धारित दर पर व्यय किया जा सकता है ।
- जिले में VPRP से सम्बंधित प्रशिक्षणों की अधत्तन स्थिति से सम्बंधित जानकारी प्रतिदिन VPRP Dash Board पर दर्ज/प्रविष्टी की जानी है ।
- अनुश्रवण हेतु इस कार्य में जिला एवं प्रखंड जीविका कार्यालय द्वारा अधिकतम सात (07) दिनों तक वाहन का उपयोग करेंगे ।
- इस कार्य में होने वाले सभी वास्तविक व्यय का वहन NRLM/ BTDP/ NRETP के IBCB/CID मद से किया जाएगा ।
- जिले में उपरोक्त प्रशिक्षण के ससमय एवं निर्बाध कार्यान्वयन एवं VPRP Dash Board पर प्रतिदिन प्रशिक्षण से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टी की जिम्मेवारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक की होगी ।
- सभी प्रकार के गतिविधियों के कार्यान्वयन में COVID- 19 प्रोटोकॉल यथा मास्क, सनेटायज़र का प्रयोग एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा ।

**ग्राम गरीबी निवारण योजना निर्माण के अतर्गत किये जाने वाले कार्य का विवरण**

| दिन                                     | गतिविधि  |
|---|--|
| 1 <sup>st</sup> Day<br>(15 जनवरी 2022)  | गाँव / वार्ड की सफाई ( सभी जीविका दीदियों के द्वारा)   |
| 2 <sup>nd</sup> Day :                   | ग्राम संगठन द्वारा नये चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों को आमत्रण एवं ग्रामीण गरीबी निवारण योजना पर उनका उन्मुखीकरण CRP एवं सम्बंधित सामजिक कार्य समिती के द्वारा   |
| 3 <sup>rd</sup> -12 <sup>th</sup> Day : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. स्वयं सहायता समूह स्तर पर हकदारी एवं जीविकोपार्जन के लिये योजना निर्माण एवं मोबाइल एप्प पर योजना की प्रविष्टी ।</li> <li>2. ग्राम संगठन स्तर पर सामुदायिक स्तर की योजनायें ( Public goods &amp; services) और सामाजिक विकास संबंधित योजनायें/ सामाजिक मुद्दें (Social Issue ) से संबंधित योजनायें बनानी है एवं उसे VPRP app पर अपलोड किया जाना है ।( अनुसूचीर a. और २ b के अनुरूप)</li> <li>3. सभी सदस्यों का जीविकोपार्जन से गतिविधिओं का संग्रहण</li> </ol> |
| 14 <sup>th</sup> Day:                   | पंचायत के अनुसार चारो योजनाओं का समेकन करे हुये VPRP एप्प पर प्रविष्टी ।   |
| 15-17 <sup>th</sup> Days :              | जिला मेंटर / BPIU/ एवं CLF / VO के सामाजिक कार्य समिती सदस्यों द्वारा संग्रहित प्रविष्टी / एवं प्रक्रियाओं का अनुश्रवण   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 18 <sup>nd</sup> Days :   | ग्राम सभा में प्रस्तुति से पूर्व CLF के द्वारा पंचायत सहयोगी समिति के सामने VPRP के तहत चयनित योजनाओं की प्रस्तुति। |
| 20 <sup>th</sup> Days     | ग्राम सभा में प्रस्तुति एवं GPDP/ MGNREGA वार्षिक कार्य योजना में समेकन।  |
| 20- 25 <sup>th</sup> Days | आजीविका सर्वेक्षण ( जीविका एप के माध्यम से ) का कार्य पूर्ण कर ग्राम संगठन द्वारा अनुशंषा                           |

VPRP नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री नीरज कुमार सिंह, परियोजना प्रबंधक ( अधिकार ) मोबाइल 7542023837 ईमेल pm.sde@brlps.in, लाइवलीहुड सर्वेक्षण हेतु श्री पंकज कुमार सिंह, 7808920116 pm.mne@brlps.in दोनों सर्वेक्षण के दौरान आजीविका गतिविधियों संबंधित जानकारी श्री अनिल कुमार 7808920108 pm.lh@brlps.in, तकनीकी जानकारी श्री चन्दन कुमार chandan.itbrlps@gmail.com और हेल्पडेस्क 18005721192 से प्राप्त की जा सकती है। VPRP कार्य में सहायता हेतु विभिन्न तकनीकी सहयोग संस्थान के निम्नलिखित सदस्य, जिलों को सहायता प्रदान करेंगे।

| क्रम | जिला का नाम   | सहयोगी सदस्य का नाम             | सहयोगी संस्थान                |
|------|---|---------------------------------|-------------------------------|
| 1    | नवादा, समस्तीपुर, किशनगंज, वेगुसराय, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, खगरिया, जमुई, वांका   | श्री सुबोध कुमार<br>90982339932 | प्रदान                        |
| 2    | मुजफ्फरपुर, अररिया, कटिहार, वैशाली, शिवहर, सीतामढी, शेखपुरा, नालंदा, अरवल, गया, जहानाबाद, दरभंगा, मधुवनी, भागलपुर, पुर्णिया | श्री रतन कुमार<br>7870588062    | प्रोजेक्ट कंसर्न<br>इंटरनेशनल |
| 3    | औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, सारण, गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी, भोजपुर, बक्सर, पटना                             | श्री छवि रंजन<br>9334998006     | प्रोजेक्ट कंसर्न<br>इंटरनेशनल |

विश्वासभाजन  
(वालामुरुगम डी.)  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

प्रक्रमांक- BRLPS/Prmj/SD/665/14/4756 दिनांक - 05/01/2022

प्रतिलिपि - सभी उपविकास आयुक्त, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जीविका, बिहार

प्रक्रमांक- BRLPS/Prmj/SD/665/14/4756 दिनांक -

प्रतिलिपि - सभी जिला परियोजना प्रबंधक, सभी जीविका राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं सहयोग हेतु।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी  
जीविका, बिहार

पुत्रांक- BRLPS/P20j/SD/665/14/4756 दिनांक 5/01/2022

प्रतिलिपि - आयुक्त, मनरेगा को सूचनार्थ एवं सहयोग हेतु।

मुख्य कार्यपालक सदाधिकारी

जीविका, बिहार 05/01/2022

पुत्रांक- BRLPS/P20j/SD/665/04/4756 दिनांक - 5/01/2022

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग एवं प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालक सदाधिकारी

जीविका, बिहार 05/01/2022

ग्रामीण गरीबी निवारण योजना जिला स्तरीय सहायता दल

अनुसूची - I

| Sl | District    | VPRP Nodal                      | Contact No. | IBCB NODAL ( For CLF / VO Concept Seeding) | Contact No. | Livelihood Nodal ( Livelihoods Data Monitoring ) | Contact No. . |
|----|-------------|---------------------------------|-------------|--|-------------|--|---------------|
| 1  | Araria      | Anuradha Chandra                | 8102921025  | Ranjan Kumar                               | 7979783744  | Shravan Kumar Jha (Mf)                           | 9939267181    |
| 2  | Arwal       | Suresh Chaudhary                | 7808920790  | Pramod Kumar                               | 9771478378  | Rupesh Kumar (Mf-Ic)                             | 9771479039    |
| 3  | Aurangabad  | Rajeev Ranjan                   | 7544000703  | Jairam Singh                               | 9065511985  | Rinky Kumari (M-Nf)                              | 7908418301    |
| 4  | Banka       | Shailendra Kumar                | 8102920683  | Prashant Kumar Singh                       | 9771558596  | Satyam Kumar (Lhs)                               | 9955421636    |
| 5  | Begusarai   | Rakesh Kumar Singh              | 7903223893  | Vedprakash                                 | 8102921415  | Akansa Kumari (Mf)                               | 9060376310    |
| 6  | Bettiah     | Naresh Kumar                    | 7808920405  | Raj Kumar                                  | 9709722360  | Santosh Kumar Ram (Mf)                           | 7781009429    |
| 7  | Bhagalpur   | Abhishek Kumar                  | 6203077901  | Bipin Kumar                                | 8051281021  | Deepak Kumar (M-Lf/F)                            | 8521330143    |
| 8  | Bhojpur     | Gita Ranjan                     | 7004513743  | K.K.Singh                                  | 7376558277  | Prem Prakash (M-Jobs)                            | 9334481599    |
| 9  | Buxar       | Pushendra Singh                 | 7781009336  | Rohit Kumar                                | 9334301845  | Bhardwaj Prasad (M-Nf)                           | 6202549340    |
| 10 | Darbhanga   | Praveer                         | 9771478977  | Sumit Kumar                                | 8102923147  | Kunal Kishore (Mf)                               | 8102923147    |
| 11 | Gaya        | Rajesh Kumar                    | 9771479648  | Sheoshankar Prasad                         | 9771478987  | Amit Kumar (Lhs, Gurua)                          | 8960284395    |
| 12 | Gopalganj   | Rakesh Kumar                    | 7544000720  | Ravi Kumar                                 | 9308766814  | Ranjan Kumar (Mf/Ic)                             | 7903844504    |
| 13 | Jamui       | Shesh Nath Roy                  | 8210422036  | Rajesh Lal                                 | 8581824334  | Kautilya Kumar (M-Lh/F)                          | 7004713779    |
| 14 | Jehanabad   | Roshita Yadav                   | 8434048380  | Ajay Kumar Singh                           | 7061752425  | Amrita Ranjan (M-Lh)                             | 8603549327    |
| 15 | Kaimur      | Syed Mohammad Hasnain           | 7004254323  | Chandan Kumar                              | 9771410581  | Akash Glad Minj (Yp-Livestock)                   | 9341504102    |
| 16 | Katihar     | Biplab Sarkar                   | 7070890600  | Manish Kumar                               | 7488846528  | Badrinarayan Mishra                              | 9546772469    |
| 17 | Khagaria    | Uma Shankar Sah                 | 6202424545  | Mamta Kumari                               | 8825305045  | Pradeep Kumar (Yp-Farm)                          | 7352825822    |
| 18 | Kishanganj  | Kailash Kumar Sahu              | 7762846212  | Shreeti Das                                | 9006333499  | Deepak Kumar (Mf)                                | 7004913639    |
| 19 | Lakhisarai  | Pankaj Kumar                    | 8102923490  | Shambhu Prasad                             | 7781009783  | Gurudev (M-F/Ic)                                 | 7808310409    |
| 20 | Madhepura   | Anoj Kumar Poddar/ Abhimanyu Kr | 7781009683  | Abhimanyu Kumar                            | 8210290224  | Alok Kumar (Mf)                                  | 9304667343    |
| 21 | Madhubani   | Amitesh Kumar                   | 7004934363  | Samsad Alam                                |             | Rajiv Kr Lhs Kaluhai                             |               |
| 22 | Motihari    | Masroor Ahmad                   | 8102920385  | Ranjit Kumar                               | 8102920378  | Randhir Kumar (M-Nf)                             | 8210768365    |
| 23 | Munger      | Nilesh Kr Mishra                | 9731009398  | Khushbu Kumari                             | 9852083629  | Anupam Kumar (M-F)                               | 8562921206    |
| 24 | Muzaffarpur | Vinod Kumar                     | 6203055475  | Panna Lal Mallah                           | 7352540458  | Venkatesh - Yp (Lhs)                             | 6204328385    |
| 25 | Nalanda     | Santosh Kumar                   | 9771478630  | Sanjay Kumar                               | 9771478370  | Anurag Kumar (M-Lh/F)                            | 9771478805    |
| 26 | Nawada      | Pankaj Kumar                    | 7781008969  | Bijender Kumar                             | 8544060901  | Madhurender (Mf)                                 | 9934874894    |
| 27 | Patna       | Priti Rani/ Smita Bharti        | 9771478465  | Smita Bharti                               | 7903310608  | Abhishek (Lhs)                                   | 9905027743    |
| 28 | Purnea      | Omprakash Mandal                | 9771479229  | Rahul Kumar Jha                            | 8310714466  | Sakir Hussain (M-Lh)                             | 9771472199    |
| 29 | Rohtas      | Ravindra Kumar                  | 9771478407  | Michelle                                   | 7764954586  | Sanjay Singh (Mf)                                | 7033593367    |
| 30 | Saharsa     | Vikas                           | 9931556758  | Anupriya Panjtiyar                         | 9608038368  | Ashish Kumar (Mf)                                | 9934361545    |
| 31 | Samastipur  | Manoj Ranjan                    | 9871900558  | Santosh Kumar                              | 7808921999  | Hemant Kumar (Yp-F)                              | 7762850074    |
| 32 | Saran       | Anwar                           | 8102923759  | Prabhakar Kumar Verma                      | 9852761770  | Sanjay Kumar (M-F)                               | 8102923760    |
| 33 | Sheikhpura  | Niranjan Kumar                  | 7004360386  | Amrendra Kumar                             | 8210119522  | Shashi Shekhar Azad (M-Nf)                       | 8210686063    |
| 34 | Sheohar     | Osama Hasan                     | 8789449979  | Md. Kaushar                                | 9771070054  | Ashish Tiwari (Mf)                               | 9065511970    |
| 35 | Sitamarhi   | Chhatu Das                      | 7992238090  | Amit Kumar Singh                           | 9771478481  | Ravikant Kumar (M.Yp-Farm)                       | 9661776340    |
| 36 | Siwan       | Alok Kumar Mishra               | 9162348690  | Mukesh Kumar                               | 7543801142  | Krishan Kumar Gupta (Mf)                         | 7905992071    |
| 37 | Supaul      | Amarjeet Kumar                  | 8102922167  | Pankaj Kumar                               | 9771478721  | Vikash Kumar (M-Lh)                              | 8539033216    |
| 38 | Vaishali    | Priyanka Sinha                  | 9771479139  | Vijay Kumar                                | 9031801102  | Neha Negi  | 8791855565    |

गाँव गरीबी उन्मूलन परियोजना प्रारूप

समूह स्तरीय डाटा एकत्रीकरण प्रारूप

समूह स्तर का डाटा दो भागों में एकत्र किया जाता है

अ.हकदारी योजना

ब. आजीविका योजना

✓

1. हकदारी योजना डाटा एकत्र प्रारूप

|       |   |
|-------|---|
| 1     | मनरेगा (MGNREGA)                              |
| 1.1   | मनरेगा- जॉब कार्ड                             |
| 1.2   | मनरेगा- कार्य की मांग                         |
| 1.2.1 | मनरेगा – व्यक्तिगत कार्य की मांग              |
| 1.2.2 | मनरेगा – सामुदायिक कार्य की मांग              |
| 2     | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)     |
| 2.1   | वृद्धावस्था पेंशन (Old age Pension)           |
| 2.2   | विधवा पेंशन (Widow Pension)                   |
| 2.3   | विकलांग पेंशन (Disability Pension)            |
| 3     | स्वच्छ भारत मिशन (SBM)                        |
| 4     | स्वास्थ्य कार्ड (Health Card)                 |
| 5     | उज्ज्वला योजना (LPG)                          |
| 6     | राशन कार्ड (Ration Card)                      |
| 7     | प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) |
| 8     | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)      |
| 9     | प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) |
| 10    | प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY)               |



○

529

## 1. मनरेगा

## 1.1 मनरेगा जॉब कार्ड

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |  | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम<br>(प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |                      |  |
| 1                          |  |                     |                     |                      |  |
| 2                          |  |                     |                     |                      |  |

## प्रशिक्षक हेतु (Facilitator's note) :

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण लिखें जो नए जॉब कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं।
2. 'लाभार्थियों के नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया पात्रता रखनेवाले स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम भरें, जिसे नया जॉब कार्ड चाहिए। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियां प्राथमिकता के क्रम में इस तरह से हों कि कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास राशन कार्ड जैसी पहचान का वैध प्रमाण होना चाहिए।
4. परिवार के 'घर के मुखिया का नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान की वार्ड संख्या और उसका नाम भरें।

62

## 1.2 मनरेगा कार्य की मांग

### 1.2 .1 मनरेगा कार्य की मांग - व्यक्तिगत कार्य की मांग

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |              | ग्रम संगठन का नाम:      |  | ग्राम पंचायत का नाम: |                     |  |
|----------------------------|--------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|--|
| क्रम संख्या                | कार्य का नाम | माँगे गए कार्य का विवरण | लाभार्थी का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम  | वार्ड संख्या और नाम | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |              |                         |  |                      |                     |  |
| 2                          |              |                         |  |                      |                     |  |

#### मनरेगा व्यक्तिगत कार्य की मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत काम की मांग करना चाहते हैं।

प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। माँगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) के आधार पर होनी चाहिए।

1. 'कार्य का नाम' कॉलम में : लाभार्थी द्वारा माँगे जाने वाले काम का नाम भरें। उदाहरण के लिए, कैटल शेड, पोल्ट्री शेड आदि।
2. 'माँगे गए कार्य का विवरण' कॉलम में: कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें। उदाहरण के लिए: शमू किराना की दुकान, वार्ड 6 के पीछे, सीता के घर पर कैटल शेड।
3. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया उस पात्र समूह सदस्य का नाम भरें जिसने मनरेगा के काम की मांग की है। नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखना होगा। सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाए है।
4. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।

516

5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
6. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।

1.2 .2 मनरेगा कार्य की मांग - सामुदायिक कार्य की मांग

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |  | ग्राम संगठन का नाम:     |                                       | ग्राम पंचायत का नाम:   |  |
|----------------------------|--|-------------------------|---------------------------------------|--|--|
| क्रम संख्या                | कार्य का नाम<br>(प्राथमिकता के क्रम में) | माँगे गए कार्य का विवरण | माँगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |  |
| 1                          |  |                         |                                       |  |  |
| 2                          |  |                         |                                       |  |  |

MV

मनरेगा सामुदायिक कार्य मांग प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो MGNREGS के तहत कार्य की मांग करना चाहते हैं। प्रशिक्षक को व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के लिए राज्य की स्वीकार्य कार्य सूची (State permissible work list) का उल्लेख करना चाहिए। मांगे गए कार्य राज्य की स्वीकार्य कार्य-सूची के आधार पर होने चाहिए।

- 1) सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता दी जाती।
- 2) 'कार्य का नाम' के कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में) : कृपया मांगे गए सामुदायिक कार्यों के नाम प्राथमिकता के क्रम में भरें।
- 3) 'मांगे गए कार्य के विवरण' के कॉलम में : कृपया कार्य का प्रकार, कार्य का स्थान आदि का विवरण भरें।
- 4) 'मांगे गए कार्य की वार्ड संख्या और नाम' के कॉलम में : मांगे गए कार्य के स्थान का वार्ड नाम और संख्या भरें।
- 5) 'प्राथमिकता के अनुसार' के कॉलम में: यह कॉलम ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा जाए।

575

## 2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP\* (पेंशन)

\*यहाँ केवल तीन पेंशनों का उल्लेख है, यदि राज्य में कोई अन्य योजना है तो उसके अनुसार कॉलम को बढ़ाया जा सकता है

### 2.1 वृद्ध पेंशन

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |  | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में) | SHG सदस्य का नाम    | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |  |                     |                     |                      |  |
| 2                          |  |                     |                     |                      |  |

### 2.2 विधवा पेंशन

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |  | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं (प्राथमिकता के क्रम में) | SHG सदस्य का नाम    | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |  |                     |                     |                      |  |
| 2                          |  |                     |                     |                      |  |

82

### 2.3 विकलांगता पेंशन

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | SHG सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के योग्य हैं | SHG सदस्य का नाम    | वार्ड संख्या और नाम  | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |   |                     |                      |  |
| 2                          |   |                     |                      |  |

#### राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) प्रारूप को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो पेंशन के पात्र हैं।
2. NSAP घरेलू स्तर का डाटा है जिसमें योग्य परिवार के सदस्यों का नाम स्वयं सहायता समूह सदस्य / परिवार के सदस्य का नाम जो पेंशन के पात्र हैं कॉलम में जोड़ा जा सकता है।।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में बनाया जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. स्वयं सहायता समूह सदस्य /परिवार के सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) जो पेंशन के योग्य हैं कॉलम में : कृपया लाभार्थी का नाम भरें। लाभार्थी या तो स्वयं सहायता समूह का कोई सदस्य या उसके परिवार का कोई योग्य सदस्य हो सकता है। लाभार्थियों का नाम प्राथमिकता क्रम में लिखें।
5. स्वयं सहायता समूह सदस्य के नाम के कॉलम में : पिछले कॉलम (पेंशन पाने योग्य SHG सदस्य/परिवार के सदस्य का नाम) में जिस लाभार्थी का नाम भरा गया है उससे संबंधित समूह सदस्य का नाम भरें ।
6. घर के मुखिया के नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति / का नाम भरें।
7. वार्ड संख्या और नाम के कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें

524

8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्र करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए

### 3. स्वच्छ भारत अभियान (SBM)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम | नया शौचालय / मरम्मत  |
| 1                          |   |                     |                     |                      |
| 2                          |   |                     |                     |                      |

02

### प्रशिक्षक के नोट:

कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो SBM के पात्र हैं और इससे पहले किसी भी सरकारी योजनाओं के तहत IHHL प्राप्त नहीं किया है

1. SBM घरेलू स्तर का डाटा है जहां एक घर को एक शौचालय मिलता है।
2. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए, जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
3. लाभार्थी के नाम कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में): कृपया उस योग्य SHG सदस्य का नाम भरें जो SBM की मांग कर रहा है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
4. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
5. समूह का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के समूह का नाम भरें।
6. वार्ड संख्या और नाम कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें
7. नए शौचालय / मरम्मत कॉलम में : कृपया भरें कि क्या लाभार्थी एक नया शौचालय चाहता है या मरम्मत की मांग कर रहा है।

*यदि राज्य IHHL की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है, तो उस विकल्प को छोड़कर सिर्फ नयी मांग को भरें*



## 4. स्वास्थ्य कार्ड (आयुष्मान भारत/राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य कार्ड)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्रम संगठन का नाम:  | ग्राम पंचायत का नाम: |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  |
| 1                          |   |                     |                      |
| 2                          |   |                     |                      |

## 5. उज्ज्वला योजना (LPG कनेक्शन)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्रम संगठन का नाम:  | ग्राम पंचायत का नाम: |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  |
| 1                          |   |                     |                      |
| 2                          |   |                     |                      |

## 6. राशन कार्ड

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्रम संगठन का नाम:  | ग्राम पंचायत का नाम: |
|----------------------------|---|---------------------|----------------------|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  |
| 1                          |   |                     |                      |
| 2                          |   |                     |                      |

7. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना –सौभाग्य

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |                      |  |
| 1                          |   |                     |                     |                      |  |
| 2                          |   |                     |                     |                      |  |

स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. स्वास्थ्य कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए , जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिलती है।
4. 'लाभार्थी के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' के कॉलम में: कृपया पात्र समूह सदस्य का नाम भरें, जिसे नए हेल्थ कार्ड / उज्ज्वला / राशन कार्ड / सौभाग्य कनेक्शन की आवश्यकता हो। कृपया नामों को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया /पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान का वार्ड संख्या और नाम भरें ।

02

8. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   |  | ग्राम संगठन का नाम: |  |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |  |
|----------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|----------------------|--|--|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) |  |                     |  | वार्ड संख्या और नाम |                      |  |  |
| 1                          |   |  |                     |  |                     |                      |  |  |
| 2                          |   |  |                     |  |                     |                      |  |  |

9. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ( PMJJBY)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   |  | ग्राम संगठन का नाम: |  |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |  |  |
|----------------------------|---|--|---------------------|--|---------------------|----------------------|--|--|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) |  |                     |  | वार्ड संख्या और नाम |                      |  |  |
| 1                          |   |  |                     |  |                     |                      |  |  |
| 2                          |   |  |                     |  |                     |                      |  |  |

**PMSBY/PMJJBY विवरणों को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

1. कृपया केवल उन व्यक्तियों का विवरण नोट करें, जो नए PMSBY / PMJJBY के लिए आवेदन करना चाहते हैं।
2. PMSBY / PMJJBY व्यक्तिगत स्तर की योजनाएं हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति लाभ का हकदार है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थी का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे PMSBY / PMJJBY की आवश्यकता है। कृपया नामों को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।

**10. प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)**

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |  | ग्राम संगठन का नाम: | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम नाम<br>(प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम  | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |  |                     |                      |  |
| 2                          |  |                     |                      |  |

*m*

**PMAY-G विवरण भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:**

1. कृपया केवल उन्हीं व्यक्तियों का विवरण नोट करें जो नए PMAY-G के लिए आवेदन करना चाहते हैं
2. PMAY-G घरेलू स्तर की योजनाएं हैं, इसलिए प्रति परिवार एक योग्य सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जा सकता है।
3. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
4. 'लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में)' कॉलम में : कृपया समूह के योग्य सदस्य का नाम भरें, जिसे नए PMAY-G की आवश्यकता है। कृपया नाम प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
5. 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/पिता / पति का नाम भरें।
6. 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : लाभार्थी के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
7. 'प्राथमिकता के लिए दर्जा' कॉलम में: यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ा गया हो।

10. \*कोई अन्य योजना (कृपया योजना का नाम यहाँ लिखें)

| स्वयं सहायता समूह का नाम : | ग्राम संगठन का नाम:                         | ग्राम पंचायत का नाम: |                     |
|----------------------------|---|----------------------|---------------------|
| क्रम संख्या                | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम  | वार्ड संख्या और नाम |
| 1                          |   |                      |                     |
| 2                          |   |                      |                     |

\*अगर हकदारी योजना में राज्य सरकार की कोई योजना शामिल की जाती है तो इस टेबल का प्रयोग SHG सदस्यों का विवरण इकट्ठा करने में हो सकता है।

**SHG के मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर**

522

B. आजीविका का आंकड़ा एकत्रित करने हेतु सूचि का प्रारूप

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 1   | खेती                  |
| 1.1 | व्यक्तिगत खेती        |
| 1.2 | सामूहिक खेती          |
| 2   | पशुपालन               |
| 2.1 | पशुपालन -व्यक्तिगत    |
| 2.2 | पशुपालन -समूह         |
| 3   | सूक्ष्म उद्यम         |
| 3.1 | व्यक्तिगत सूक्ष्म     |
| 3.2 | सामूहिक सूक्ष्म उद्यम |

82

## 1. खेती

टेबल 1: खेती में मदद के प्रकार की सूची:

| क्रम संख्या | मदद के प्रकार   |
|-------------|---|
| 1.          | प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण   |
| 2           | उपकरणों के लिए सब्सिडी और ऋण के रूप में सिंचाई में मदद  |
| 3.          | सब्सिडी के रूप में बीज वितरण, खाद और उर्वरकों में मदद   |
| 4.          | बाजार तक पहुँच और विपणन में मदद   |
| 5.          | गुणवत्ता वाले बीज / उर्वरक / जैविक खाद / एजोला / पौधे / अंकुर / जैसे इनपुट औषधीय पौधे / बाड़ आदि। |
| 6.          | यंत्रकृत कृषि उपकरण / औजार - पावर टिलर, मोटर पंप, वीडर, स्प्रेयर, थ्रेशर इत्यादि।                 |
| 7.          | बोरवेल, लिफ्ट सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, सिंचाई चैनल, पाइप, तालाब आदि।                                 |
| 8.          | कोल्ड स्टोरेज / गोदाम / शीतलन संयंत्र / पंप हाउस  |
| 9.          | वर्मी कम्पोस्ट / नाडेप पिट  |
| 10.         | ड्राइइंग प्लेटफार्म   |
| 11.         | उत्पादन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार लिंकेज, आयोजन का प्रमाणन<br>मेलों                      |
| 12.         | विशिष्ट फसल की खेती, एक्सपोजर विजिट के लिए प्रशिक्षण  |
| 13.         | फसल बीमा  |
| 14.         | सेरीकल्चर, बागवानी और वानिकी रोपण संबंधित इनपुट और उपकरण  |



519

ध्यान दें कि ऊपर जिस तरह के मदद का ज़िक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य उस राज्य-विशेष के लिए एक विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुविधाओं / संवर्गों के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

खेती से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                   |
|-------------|--------------------------------|
| 1.          | कृषि विभाग                     |
| 2           | बागवानी विभाग                  |
| 3.          | भूमि, मृदा और जल संरक्षण विभाग |
| 4.          | सिंचाई विभाग                   |
| 5.          | रेशमकीट पालन विभाग             |

19

### 1.1 व्यक्तिगत खेती

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम:                  |                             |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| क्रम संख्या                | SHG सदस्यों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम | स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती | किस प्रकार की मदद चाहते हैं | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |   |                     |                     |                                       |                             |  |
| 2                          |   |                     |                     |                                       |                             |  |

#### व्यक्तिगत खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट:

- सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें कमजोर वर्ग और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
- 'SHG सदस्य का नाम' के कॉलम में : कृपया समूह सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत खेती पद्धतियों में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
- 'घर के मुखिया का नाम' कॉलम में: कृपया लाभार्थी के घर के पिता / पति / मुखिया का नाम भरें।
- 'वार्ड संख्या और नाम' कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
- 'स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि' पर खेती कॉलम में : यदि SHG के सदस्य अपनी या अपने परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर खेती करना चाहते हैं, तो इसमें "अपनी भूमि" लिखें। और अगर SHG के सदस्य पट्टे की ज़मीन पर खेती करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई" लिखिए।

6. 'किस तरह के मदद की ज़रूरत है' कॉलम में : किसी खास मांग के लिए SHG के सदस्य किस प्रकार की मदद चाहते हैं, इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक तरह की मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि (संदर्भ टेबल 1)

7. 'प्राथमिकता के अनुसार' कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटाएकत्रित करने के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

### 1.2 सामूहिक खेती

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |                                | ग्राम संगठन का नाम:                                 |  | ग्राम पंचायत का नाम:                  |                             |  |
|----------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| क्रम संख्या                | समूह में SHG सदस्यों की संख्या | समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम | समूह में किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या | स्वयं की भूमि / पट्टे की भूमि पर खेती | किस प्रकार की मदद चाहते हैं | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |                                |   |  |                                       |                             |  |
| 2                          |                                |   |  |                                       |                             |  |

m

### सामूहिक खेती के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु:

यह SHG के उन सदस्यों के लिए है जो सामूहिक खेती करना चाहते हैं। इस समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य जुड़ सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. समूह सदस्य का नाम कॉलम में: कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें।
3. समूह के SHG सदस्यों के नाम और सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में: कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG के सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें। उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम कॉलम में: कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. स्वयं की भूमि / पट्टे पर दी गई भूमि पर खेती कॉलम में : अगर समूह ऐसी ज़मीन पर खेती करना चाहता है जो समूह के किसी सदस्य या परिवार के किसी सदस्य की है तो कृपया "अपनी ज़मीन" लिखें; और अगर समूह पट्टे की जमीन पर खेती करना चाहता है, जिसके लिए उसे किराया देना है, तो "पट्टे पर दी गई जमीन" लिखिए।
6. मदद के प्रकार कॉलम में : किसी खास माँग के लिए SHG के सदस्यों को किस तरह की मदद चाहिए इसका उल्लेख करें। एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, फसलों के प्रकार, कृषि सब्सिडी, वित्तीय ऋण, विशेष प्रशिक्षण, आदि (संदर्भ टेबल 1)
7. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर एक समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा।

सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

## 2. पशुपालन

पशुपालन के लिए मदद के प्रकार की सूची:

| क्रम संख्या | मदद के प्रकार   |
|-------------|---|
| 1           | मछलियों / चूजों / बछड़ों, आदि और अन्य आदानों के लिए सब्सिडी                 |
| 2           | पशु चिकित्सा के लिए समर्थन  |
| 3           | प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और विस्तार के लिए मदद                             |
| 4           | बाजार तक पहुँच और विपणन मदद   |
| 5           | गुणवत्ता वाले पशुधन   |
| 6           | टीके और दवाइयाँ   |
| 7           | मुर्गी पालन / मधुमक्खी पालन / मत्स्य पालन के लिए उपकरण / इनपुट - वजन तराजू  |
| 8           | पशुओं के लिए स्वास्थ्य शिविर  |
| 9           | तालाब का जीर्णोद्धार / नया निर्माण  |
| 10          | कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए मछली पकड़ने का जाल                               |
| 11          | मछली / मवेशी / मुर्गी / सुअर पालन प्रदान करना                               |
| 12          | पोल्ट्री शेड / कैटल शेड / बकरी शेड / सुअर शैली                              |
| 13          | चारे की खेती  |
| 14          | टीकों और दवाओं के लिए मिनी-रेफ्रिजरेटर                                      |
| 15          | उपज का प्रमाणन, ब्रांडिंग, बाजार की सुविधा, विपणन के लिए मेलों का आयोजन आदि |
| 16          | मिल्क चिलिंग प्लांट्स   |
| 17          | काम शेड   |
| 18          | पशु बीमा  |
| 19          | शिष्ट पशुधन / छोटे जुगाली / मछली पालन के लिए प्रशिक्षण                      |

ध्यान दें कि ऊपर जिस मदद का जिक्र हुआ है वे आम तरह के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे उन प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / कैंडिड के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र के लिए नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

पशुपालन से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

| क्रम संख्या | विभाग का नाम    |
|-------------|-----------------|
| 1.          | पशुपालन विभाग   |
| 2           | मतस्यपालन विभाग |

## 2.1 पशुपालन – व्यक्तिगत

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: |                     | ग्राम पंचायत का नाम: |                      |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | समूह सदस्य का नाम<br>(प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम | पशुपालन की श्रेणी    | आवश्यक मदद के प्रकार | प्राथमिकता का दर्जा (जीपी समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |   |                     |                     |                      |                      |  |
| 2                          |   |                     |                     |                      |                      |  |

## व्यक्तिगत पशुपालन के लिए प्रशिक्षक के नोट:

पशुपालन में पशु धन जैसे मुर्गी, सूअर, बकरी, गाय आदि शामिल होंगे। इस श्रेणी में SHG सदस्यों की माँगें शामिल होंगी जो पशुपालन में रुचि रखते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में रखा जाए जिसमें सबसे कमजोर और सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम : कृपया ऐसे SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत पशुपालन में रुचि रखते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
3. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता/ पति/ का नाम भरें।
4. वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. पशुपालन की श्रेणी कॉलम में : कृपया उन मवेशियों का नाम लिखें जिसकी माँग SHG के सदस्य करते हैं। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर, आदि।

6. मदद के प्रकार कॉलम में : कृपया मदद के प्रकार का उल्लेख करें, जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। उन्हें एक से अधिक तरह के मदद की ज़रूरत हो सकती है। यदि सदस्य मवेशी / सूअर / आदि की मांग करते हैं, तो इस कॉलम में मांगे गए जानवरों की संख्या का भी उल्लेख करें। उदाहरण के लिए, यदि जानवर की श्रेणी में, कोई सदस्य बकरी पालन की मांग करता है, तो मदद के प्रकार के तहत कितनी बकरी की माँग करते हैं उसकी संख्या लिखें, जैसे, "बकरी -3" (संदर्भ टेबल 2 देखें)।

7. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए एक रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए



575

2.2 पशुपालन- सामूहिक

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |                                | ग्राम संगठन का नाम:                                     |   | ग्राम पंचायत का नाम: |                      |  |
|----------------------------|--------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | समूह में SHG सदस्यों की संख्या | समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः सदस्यों के समूह का नाम | समूह के किसी एक सदस्य के वार्ड का नाम और संख्या | पशुपालन की श्रेणी    | आवश्यक मदद के प्रकार | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
|                            |                                |   |   |                      |                      |  |
|                            |                                |   |   |                      |                      |  |

✓

### सामूहिक पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट :

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो एक समूह के रूप में सूक्ष्म उद्योग शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए एक समूह में SHG के तीन या उससे ज्यादा सदस्य हो सकते हैं।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले।
2. समूह सदस्य का नाम कॉलम में (प्राथमिकता के क्रम में): कृपया किसी एक खास समूह में SHG सदस्यों की संख्या भरें, जो एक समूह सूक्ष्म उद्यम (ME) शुरू करना चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता वाले क्रम में लिखें।
3. समूह के सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके समूह का नाम कॉलम में : कृपया समूह में SHG के सभी सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 SHG सदस्य खेती के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम इस कॉलम में अवश्य लिखें और उनके नाम के आगे ब्रैकेट में उनके SHG का नाम लिखें।
4. समूह के किसी SHG सदस्य का वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया समूह सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. पशुपालन की श्रेणी कॉलम में : SHG सदस्य किस तरह के मवेशियों की माँग करते हैं उसे दर्ज करें। उदाहरण के लिए, बकरी, मवेशी, मुर्गी, सूअर आदि।
6. मदद के प्रकार कॉलम में : अपनी किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस तरह की मदद चाहिए कृपया इसका उल्लेख करें। उन्हें एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मवेशी, पशु / मुर्गी शेड, चारा, अनाज पर सब्सिडी, वित्तीय ऋण या विशेष प्रशिक्षण। (संदर्भ टेबल 3 देखें)।
7. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

### 3. सूक्ष्म उद्यम

SHG के सदस्य व्यक्तिगत रूप से या दो या अधिक के समूहों में ME शुरू कर सकते हैं। ME को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

टेबल 3: सूक्ष्म उद्यम के लिए मदद के प्रकारों की सूची :

| क्रम संख्या | मदद के प्रकार   |
|-------------|---|
| 1           | सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए किराए में सब्सिडी   |
| 2           | आकस्मिक खर्च  |
| 3           | प्रौद्योगिकी, कौशल, बाजार पहुंच आदि में उद्यमियों की क्षमता निर्माण.  |
| 4           | नए उद्यम विकासके लिए बीज पूंजी और मौजूदा उद्यम के लिए मदद के प्रकार   |
| 5           | बाजार तक पहुँच और विपणन मदद   |
| 6           | उत्पादों की डिजाइनिंग और पैकेजिंग   |
| 7           | व्यवसाय विकास कौशल पर प्रशिक्षण   |
| 8           | विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उपकरण / उपकरण जैसे खाद्य प्रसंस्करण, मसाले सुखाने और पीसने, हथकरघा, हस्तकला, एनटीएफ उत्पादन से उत्पाद बनाना, पैकेजिंग के लिए उपकरण। |
| 9           | काम शेड   |
| 10          | इंटरनेट प्लेटफार्म  |
| 11          | भंडारण की इकाइयाँ   |
| 12          | उत्पाद और सेवाओं का प्रमाणन, प्रचार और ब्रांडिंग समर्थन, बाजार संपर्क, मेलों का आयोजन।  |

|    |  |
|----|--|
|    |  |
| 13 | विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण (हथकरघा, हस्तशिल्प, सेरीकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण, विभिन्न सेवाएं आदि) |

ध्यान दें कि ऊपर जिनकी चर्चा की गई है वे सब सामान्य प्रकार के हैं। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य में आजीविका की प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध मदद के प्रकारों की राज्य-विशिष्ट सूची भी हो सकती है। राज्य अपने लिए राज्य-विशिष्ट सूची तैयार कर सकते हैं और इसे प्रतिभागियों / सुगमकर्ताओं / संवर्ग के बीच प्रसारित कर सकते हैं जो क्षेत्र में नियोजन अभ्यास की सुविधा प्रदान करेंगे।

सूक्ष्म उद्यम से संबंधित मांगों पर ग्राम पंचायत / स्थानीय निकायों की निधियों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित विभिन्न विभागों की उपलब्ध योजनाओं के तहत गौर किया जा सकता है:

| क्रम संख्या | विभाग का नाम                |
|-------------|-----------------------------|
| 1.          | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम |
| 2           | खाद्य प्रसंस्करण उद्योग     |

सूक्ष्म उद्यमों को तीन श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

513

टेबल 4: सूक्ष्म उद्यम को श्रेणीबद्ध करना

| उत्पादन                            | व्यापार                      | सेवाएं                       |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. बुनाई                           | 1. गारमेंट स्टोर             | 1. ब्यूटी पार्लर             |
| 2. पापड़ बनाना                     | 2. जनरल स्टोर                | 2. केटरिंग सर्विसेज़         |
| 3. अगरबत्ती बनाना                  | 3. बेकरी                     | 3. साउन्ड एण्ड लाइट रेन्टल   |
| 4. आचार बनाना                      | 4. फार्मसी                   | 4. रेस्तराँ                  |
| 5. फूल और गुलदस्ता बनाना           | 5. पूजा की वस्तुओं की दुकान  | 5. लॉन्ड्री सर्विस           |
| 6. पेपर प्लेट बनाना                | 6. बिस्तर और गद्दे की दुकान  | 6. ऑटो रिक्शा/वैन्स          |
| 7. चुचूड़ी बनाना                   | 7. किताब की दुकान            | 7. बाइक/ कार रिपेयर          |
| 8. कॉइर रस्सी बनाना                | 8. ईंट और टाइल्स के कारोबार  | 8. बढ़ई                      |
| 9. हथकरघा और हस्तशिल्प             | की दुकान                     | 9. मोबाईल मरम्मत             |
| 10. मिट्टी के बर्तन बनाना          | 9. डेयरी उत्पाद              | 10. इलेक्ट्रानिक्स रिपेयर    |
| 11. चावल मिल                       | 10. बिजली की दुकान           | 11. ताज़ा फल का जूस/अन्य पेय |
| 12. रेशम कीट पालन                  | 11. मछली का व्यापार          | 12. चित्रकारी                |
| 13. हलवाई का काम/मिठाई बनाना       | 12. मूँगफली का कारोबार       | 13. प्रिंटिंग प्रेस          |
| 14. नोटबुक बनाना                   | 13. आभूषण                    | 14. ट्यूशन                   |
| 15. सब्जियों की खेती               | 14. मशरूम का कारोबार         | 15. सलून                     |
| 16. थैलियाँ बनाना                  | 15. जूते के कारोबार की दुकान | 16. फोटो स्टूडियो            |
| 17. लकड़ी या बांस के फर्नीचर बनाना | 16. सब्जी/फल का कारोबार      | 17. टैक्सी सर्विस            |
| 18. चटाई बनाना                     | 17. बर्तन का कारोबार         | 18. टेलरिंग                  |
| 19. साबुन और डिटरजेंट बनाना        | 18. रद्दी का कारोबार         | 19. वैल्विंग                 |
| 20. वाटर प्यूरीफायर प्लांट         | 19. हार्डवेयर स्टोर          | 20. घड़ी मरम्मत              |
|                                    | 20. शीतल पेय की दुकान        |                              |

m

### 3.1 व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |   | ग्राम संगठन का नाम: |                     |              | ग्राम पंचायत का नाम: |  |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|
| क्रम संख्या                | SHG सदस्य का नाम<br>(प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम | ME का प्रकार | आवश्यक मदद के प्रकार | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |   |                     |                     |              |                      |  |
| 2                          |   |                     |                     |              |                      |  |

### व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों (ME) के लिए प्रशिक्षक का नोट :

'SHG सदस्य का नाम' कॉलम में : कृपया SHG सदस्यों का नाम भरें जो व्यक्तिगत ME शुरू करने में रुचि रखते हैं या जिन्हें मौजूदा MEs के लिए मदद की आवश्यकता है।

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर और गरीबों में सबसे गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. SHG सदस्य का नाम (प्राथमिकता के क्रम में) कॉलम में : कृपया इसमें उन SHG सदस्यों के नाम भरें, जो व्यक्तिगत ME शुरू करना चाहते हैं या वर्तमान ME में मदद चाहते हैं। कृपया नाम को प्राथमिकता के क्रम में लिखें।
3. घर के मुखिया का नाम कॉलम में : कृपया लाभार्थी के घर के मुखिया/ पिता / पति का नाम भरें।
4. वार्ड नाम और संख्या कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और संख्या भरें।
5. समूह का नाम कॉलम में : कृपया सदस्य के SHG का नाम लिखें।
6. ME के प्रकार कॉलम में: इस कॉलम में, कृपया सूक्ष्म उद्यम का प्रकार दर्ज करें जैसे किराना की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि।
7. किस प्रकार की मदद कॉलम में : SHG के सदस्य को विशेष मांग के लिए किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
8. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम GP स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। GP स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

### 3.2 समूह सूक्ष्म उद्यम

| स्वयं सहायता समूह का नाम : |                                |  |   |              |                      |  |
|----------------------------|--------------------------------|--|---|--------------|----------------------|--|
| ग्राम संगठन का नाम :       |                                |  | ग्राम पंचायत का नाम :                                 |              |                      |  |
| क्रम संख्या                | समूह में SHG सदस्यों की संख्या | समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः उनके SHG के नाम | समूह के किसी एक SHG सदस्य की वार्ड संख्या और उसका नाम | ME का प्रकार | आवश्यक मदद के प्रकार | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |
| 1                          |                                |  |   |              |                      |  |
| 2                          |                                |  |   |              |                      |  |

*SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर*



सामूहिक अति लघु उद्योग के लिए प्रशिक्षक हेतु नोट :

SHG के ऐसे सदस्यों के लिए जो सामूहिक रूप से सूक्ष्म उद्यम शुरू करना चाहते हैं। एक समूह में तीन या अधिक SHG सदस्य शामिल हो सकते हैं:

1. सुनिश्चित करें कि प्रविष्टियों को प्राथमिकता के क्रम में दर्ज किया जाए जिसमें सबसे कमजोर वर्ग और अति गरीब को उच्च प्राथमिकता मिले
2. एक समूह में SHG के सदस्यों की संख्या कॉलम में : कृपया एक विशेष समूह में SHG सदस्यों की संख्या लिखें जो समूह में शुरू करने के लिए तैयार हैं।
3. समूह के SHG सदस्यों के नाम और क्रमशः इन सदस्यों के SHG के नाम कॉलम में: कृपया समूह के सभी SHG सदस्यों के नाम लिखें। उदाहरण के लिए : अगर 3 समूह के सदस्य सामूहिक खेती करने के लिए समूह बनाना चाहते हैं तो उन तीनों सदस्यों का नाम लिखें और उनके नाम के आगे कोष्ठक में उनके SHG का नाम लिखें।
4. समूह के किसी एक SHG सदस्य के वार्ड का नाम और उसकी संख्या कॉलम में : कृपया SHG सदस्य के निवास स्थान के वार्ड का नाम और उसकी संख्या भरें।
5. सूक्ष्म उद्यम के प्रकार कॉलम में : इस कॉलम में, कृपया एमई (उत्पादन / व्यापार / सेवा) का प्रकार जैसे किराने की दुकान, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती इकाई, अचार बनाने की इकाई, जूते की दुकान, नाई की दुकान आदि लिखें जिसे SHG सदस्य शुरू करने का इच्छुक है। (टेबल 4 देखें)।
6. किस प्रकार की मदद चाहिए कॉलम में : अपने किसी खास माँग के लिए SHG सदस्य को किस प्रकार की मदद चाहिए, इसका उल्लेख करें। एक से अधिक मदद की ज़रूरत हो सकती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय ऋण, विशेष कौशल प्रशिक्षण, बाजार संवर्धन के लिए समर्थन आदि (संदर्भ टेबल 3)
7. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम जीपी स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान ही भरा जाना चाहिए। जीपी स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान, प्राथमिकता को दर्शाने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि SHG स्तर का डाटा संग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

ग्राम संगठन स्तरीय आंकड़ों का सारांश शीट एवं आंकड़ों के संकलन का प्रारूप  
स्वयं सहायता समूह से प्राप्त आंकड़ों को ग्राम संगठन स्तर पर समेकित  
करना और इनका सारांश शीट तैयार करना

अ. हक़दारी योजना

ब. आजीविका योजना

ग्राम संगठन स्तर का आंकड़ा ग्राम संगठनों से दो योजनाओं के लिए एकत्र किया  
जाता है

स. पब्लिक गुड्स, सर्वसिस व रिसोर्स डिवेलपमेंट योजना

द. सामाजिक विकास योजना

१

ग्राम संगठन का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

स्वयं सहायता समूहों की संख्या:

SHG मुखिया की मुहर और हस्ताक्षर

501

## SHG की वर्तमान स्थिति और आनेवाले वर्ष की योजना

### वर्तमान स्थिति

| क्रम संख्या | स्थिति   | संख्या |
|-------------|--|--------|
| 1           | VO /PLF अधिकार -क्षेत्र में आनेवाले कुल परिवारों की संख्या |        |
| 2           | SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या                     |        |
| 3           | कुल मौजूदा SHG की संख्या                                   |        |
| 4           | सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या                  |        |
| 5           | बैंक ऋण पानेवाले SHG की कुल संख्या                         |        |

### आने वाले वर्ष की योजना

| क्रम संख्या | योजना  | संख्या |
|-------------|--|--------|
| 1           | SHG के अंतर्गत लाए जानेवाले घरों की संख्या   |        |
| 2           | SHG की संख्या जिन्हें सचल राशि (RF) दी जाएगी |        |
| 3           | SHG की संख्या जिन्हें बैंक ऋण दिए जाएँगे     |        |

67

वर्तमान स्थिति की जानकारी भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट हेतु :

1. VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया VO /PLF के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कुल घरों की संख्या भरे
2. SHG के अंतर्गत आने वाले घरों की संख्या की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया उन घरों की संख्या लिखें जो SHG के अधीन हैं
3. कुल मौजूदा SHG की संख्या की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया ग्राम संगठन के अंतर्गत मौजूद SHG की कुल संख्या भरें
4. सचल राशि (RF) पाने वाले SHG की कुल संख्या की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया सचल राशि (RF) प्राप्त करनेवाले समूहों की कुल संख्या लिखें
5. बैंक ऋण पाने वाले SHG की कुल संख्या की पंक्ति में : इस पंक्ति में कृपया बैंक से ऋण प्राप्त करनेवाले SHG की कुल संख्या लिखें

आने वाले वर्ष की योजना भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट :

1. SHG के अंतर्गत लाए जाने वाले परिवारों की संख्या की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन घरों की कुल संख्या लिखें जिन्हें SHG के अधीन लाया जाएगा
2. सचल राशि (RF) दिए जाने वाले SHG की संख्या की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें सचल राशि (RF) दिया जाएगा
3. बैंक ऋण दिए जानेवाले SHG की संख्या की पंक्ति में: इस पंक्ति में कृपया उन SHG की संख्या लिखें जिन्हें आने वाले वर्ष में बैंक से ऋण प्राप्त हो सकेगा

500

हकदारी योजना के लिए ग्राम संगठन के सारांश शीट को भरने के लिए प्रशिक्षक के नोट:

1. प्रत्येक योजना के स्वयं सहायता समूह स्तर के आंकड़े में एक आमुख पृष्ठ होगा जो संबंधित ग्राम संगठन का सारांश शीट होगा।
2. स्वयं सहायता समूह के नाम कॉलम में : कृपया SHG स्तर के डाटाशीट के अनुसार लाभार्थी जिस स्वयं सहायता समूह का है उसका नाम भरें।
3. लाभार्थी की संख्या कॉलम में : प्रारूप में उल्लिखित योजना के लिए किसी विशेष स्वयं सहायता समूह से कुल लाभार्थी की संख्या को भरें।
4. कार्य की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG से व्यक्तिगत और सामुदायिक कार्यों के माँग की संख्या क्या रही उसे भरें (यह केवल मनरेगा के तहत व्यक्तिगत/सामुदायिक कार्य की माँग के लिए मान्य है)।

2

## हक़दारी योजना

### 1. मनरेगा

#### 1.1 नया जॉब कार्ड

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| कुल लाभार्थियों की संख्या |                          |                       |

स्वयं सहायता समूह के अधीन नहीं आने वाले लाभार्थियों के लिए नया जॉब कार्ड (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

#### 1.2 मनरेगा में कार्य की मांग

##### 1.2.1 मनरेगा -व्यक्तिगत कार्य

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | कार्य की संख्या |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1           |                          |                 |
| 2           |                          |                 |
| कुल संख्या  |                          |                 |

1.2.2 मनरेगा -सामुदायिक कार्य

47

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | कार्य की संख्या |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| 1           |                          |                 |
| 2           |                          |                 |
| कुल संख्या  |                          |                 |

2. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -NSAP (पेंशन)

2.1 वृद्धावस्था पेंशन

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

उन लाभार्थियों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब )

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

67



## 2.2 विधवा पेंशन

| क्रम संख्या               | SHG का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|------------|-----------------------|
| 1                         |            |                       |
| 2                         |            |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |            |                       |

विधवा पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/ गरीबों में अति गरीब )

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

## 2.3 विकलांगता पेंशन

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

विकलांगता पेंशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/ग़रीबों में अति ग़रीब )

506

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

### 3. स्वच्छ भारत मिशन

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

स्वच्छ भारत मिशन उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित ग़रीब / ग़रीबों में ग़रीब )

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

67

#### 4. स्वास्थ्य कार्ड

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

स्वास्थ्य कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

#### 5. राशन कार्ड

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

राशन कार्ड उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग / गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

SDS

## 6. उज्ज्वला गैस (LPG)

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

उज्ज्वला गैस उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

## 7. प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना- सौभाग्य

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना - सौभाग्य उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| 1           |  |                     |                     |
| 2           |  |                     |                     |

on

### 8. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के अंतर्गत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब )

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम एवं संख्या |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1           |   |                     |                         |
| 2           |   |                     |                         |

### 9. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों की संख्या |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1                         |                          |                       |
| 2                         |                          |                       |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                       |

(S)

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब )

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के अंतर्गत नहीं हैं उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम एवं संख्या |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1           |   |                     |                         |
| 2           |   |                     |                         |

10. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY - G)

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों के नाम |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                         |                          |                    |
| 2                         |                          |                    |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                    |

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम एवं संख्या |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|
| 1           |   |                     |                         |
| 2           |   |                     |                         |

✓

11. कोई अन्य योजना (योजना का नाम दर्ज करें)

| क्रम संख्या               | स्वयं सहायता समूह का नाम | लाभार्थियों के नाम |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1                         |                          |                    |
| 2                         |                          |                    |
| लाभार्थियों की कुल संख्या |                          |                    |

कोई अन्य योजना उन लाभार्थियों के लिए जो SHG के तहत नहीं आते (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमजोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | जो लाभार्थी SHG के तहत नहीं आते उनका नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड संख्या और नाम |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| 1           |   |                     |                     |
| 2           |   |                     |                     |

## C. आजीविका योजना

### 1.1 खेती – व्यक्तिगत खेती

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | SHG सदस्यों की संख्या जो व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखते हैं | व्यक्तिगत जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या | पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या |
|-------------|--------------------------|---|--|--|
| 1           |                          |   |  |  |
| 2           |                          |   |  |  |
| कुल संख्या  |                          |   |  |  |

#### व्यक्तिगत खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल व्यक्तिगत खेती का समेकित विवरण होगा

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिनके विवरण भरे जाने हैं।
2. व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखने वाले SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में: कृपया संबंधित SHG के लिए व्यक्तिगत खेती में दिलचस्पी रखनेवाले SHG के कुल सदस्यों की संख्या दर्ज करें।
3. अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में : कृपया संबंधित SHG के लिए अपनी ही ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या दर्ज करें।
4. पट्टे की ज़मीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या का कॉलम: कृपया संबंधित SHG सदस्यों के लिए पट्टे की ज़मीन पर खेती करनेवाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।

82



## 1.2 खेती- सामूहिक खेती

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | सामूहिक खेती में दिलचस्पी रखने वाले समूहों की संख्या | खुद की जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या | पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले समूह की संख्या |
|-------------|--------------------------|--|--|--|
| 1           |                          |  |  |  |
| 2           |                          |  |  |  |
| कुल संख्या  |                          |  |  |  |

### सामूहिक खेती हेतु प्रशिक्षक के लिए नोट:

इस टेबल में केवल सामूहिक खेती का समेकित विवरण होगा

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उन SHG का नाम लिखें जिसका ब्योरा भरा जाना है ।
2. सामूहिक खेती के इच्छुक SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में : संबंधित SHG के लिए सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले SHG सदस्यों की कुल संख्या लिखें।
3. SHG की संख्या कॉलम में : कृपया एक SHG के भीतर सामूहिक खेती में रुचि रखने वाले लोगों के समूहों की संख्या लिखें ।
4. व्यक्तिगत जमीन पर खेती करने वाले समूहों की संख्या कॉलम में : कृपया संबंधित SHG के लिए स्वयं की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें।
5. पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले SHG सदस्यों की संख्या कॉलम में : कृपया संबंधित SHG के लिए पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले समूहों की कुल संख्या लिखें ।

500

### 1.3 खेती - व्यक्तिगत और सामूहिक खेती के लिए आवश्यक मदद

| क्रम संख्या | मदद के प्रकार | कुल मदद के प्रकार |
|-------------|---------------|-------------------|
| 1           |               |                   |
| 2           |               |                   |
| कुल संख्या  |               |                   |

#### खेती के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को विभिन्न प्रकार के समर्थन के लिए ज़रूरी समेकित विवरण देगी।

1. मदद के प्रकार कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद चाही है उन विभिन्न तरह के मदद को दर्ज करें। कृपया स्वयं मदद के प्रकार समूहों से आए विभिन्न प्रकार की मदद आवश्यकताओं को लिखें। प्रत्येक तरह की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाए।

2. ज़रूरी मदद की कुल संख्या कॉलम में : व्यक्तिगत और सामूहिक पशुपालन के लिए ज़रूरी कुल मदद की संख्या इसमें दर्ज की जाए।

SHG के दायरे के बाहर के लाभार्थियों के लिए खेती (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित कमज़ोर वर्ग/गरीबों से भी अति गरीब)

| क्रम संख्या | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम एवं संख्या | व्यक्तिगत/ सामूहिक | स्वयं की ज़मीन पे खेती/ पट्टे की ज़मीन पे खेती | किस प्रकार के मदद चाहते हैं |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| 1           |   |                     |                         |                    |  |                             |
| 2           |   |                     |                         |                    |  |                             |

✓

## 2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत और सामूहिक

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | व्यक्तिगत पशु पालन के लिए माँग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या | सामूहिक पशु पालन की माँग करने वाले समूहों की संख्या |
|-------------|--------------------------|--|---|
| 1           |                          |  |   |
| 2           |                          |  |   |
|             | कुल संख्या               |  |   |

व्यक्तिगत और सामूहिक : पशुपालन के लिए प्रशिक्षक का नोट -:

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत पशुपालन की माँग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से पशुपालन की माँग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक पशुपालन की माँग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में पशुपालन की माँग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

## 2.1 पशुपालन - व्यक्तिगत व सामूहिक के लिए आवश्यक मदद

| क्रम संख्या | SHG के नाम | मदद के प्रकार | कुल मदद के प्रकार |
|-------------|------------|---------------|-------------------|
| 1           |            |               |                   |
| 2           |            |               |                   |
|             | कुल संख्या |               |                   |

पशु पालन -व्यक्तिगत और सामूहिक के लिए विभिन्न प्रकार के मदद हेतु प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगी ।

1. किस प्रकार का मदद चाहते हैं कॉलम में : SHG ने जिस तरह की मदद की माँग की है उन विभिन्न तरह के मददका विवरण लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग-अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।

2. आवश्यक मदद की कुल संख्या कॉलम में : यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के पशुपालन में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए पशुपालन (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित गरीब/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम और संख्या | व्यक्तिगत/ सामूहिक | पशुपालन की श्रेणी | आवश्यक मदद के प्रकार |
|-------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1           |   |                     |                        |                    |                   |                      |
| 2           |   |                     |                        |                    |                   |                      |

### 3.1 सूक्ष्म उद्यम - व्यक्तिगत व सामूहिक

| क्रम संख्या | स्वयं सहायता समूह का नाम | व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम के लिए जितनी संख्या में लोगों ने मांग की | सामूहिक सूक्ष्म उद्यमों की जितनी संख्या में समूहों ने माँग की अ |
|-------------|--------------------------|--|---|
| 1           |                          |  |   |
| 2           |                          |  |   |
|             | कुल संख्या               |  |   |

व्यक्तिगत और सामूहिक : सूक्ष्म उद्यमों के लिए प्रशिक्षक का नोट -:

1. SHG का नाम कॉलम में : कृपया उस SHG का नाम लिखें जिसका विवरण भरा जाना है।
2. व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यम की माँग करनेवाले लोगों की संख्या कॉलम में : कृपया प्रत्येक SHG समूह से सूक्ष्म उद्यम की माँग करनेवाले व्यक्तियों की कुल संख्या लिखें।
3. सामूहिक सूक्ष्म उद्यम की माँग करनेवाले समूहों की संख्या कॉलम में : प्रत्येक SHG में सूक्ष्म उद्यम की माँग जितनी संख्या में समूहों ने की है उनकी कुल संख्या लिखें।

### 3.3. सूक्ष्म उद्यम - व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद

| क्रम संख्या | मदद के प्रकार | आवश्यक मदद की कुल संख्या |
|-------------|---------------|--------------------------|
| 1           |               |                          |
| 2           |               |                          |
|             | कुल संख्या    |                          |

520

सूक्ष्म उद्यमों के लिए आवश्यक मदद के लिए प्रशिक्षक के नोट :

यह टेबल प्रत्येक प्रकार के मदद के लिए लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ समूह सदस्यों को आवश्यक विभिन्न प्रकार के मदद के लिए समेकित विवरण देगा।

1. मदद के प्रकार कॉलम में : SHG की ओर से भिन्न तरह के मदद की जो ज़रूरतें आई हैं उसको लिखें। प्रत्येक प्रकार की मदद को अलग पंक्ति में लिखा जाएगा।
2. आवश्यक मदद की कुल संख्या कॉलम में : यह व्यक्तिगत और समूह पशुपालन दोनों में आवश्यक मदद का कुल योग होना चाहिए।

SHG के बाहर के लाभार्थियों के लिए सूक्ष्म उद्यम (ग्राम संगठन द्वारा चिह्नित किए गए कमज़ोर वर्ग/गरीबों में अति गरीब)

| क्रम संख्या | लाभार्थियों के नाम (प्राथमिकता के क्रम में) | घर के मुखिया का नाम | वार्ड का नाम एवं संख्या | व्यक्तिगत/सामूहिक | सूक्ष्म उद्यम के प्रकार | आवश्यक मदद के प्रकार |
|-------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 1           |   |                     |                         |                   |                         |                      |
| 2           |   |                     |                         |                   |                         |                      |

D. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन योजना

| सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की माँग<br>(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय माँग को भी शामिल किया जा सकता है।) |                               |             |  |
|--|-------------------------------|-------------|--|
| क्रम संख्या  | माँग का विवरण                 | क्रम संख्या | माँग का विवरण  |
| 1  | सड़क                          | 19          | ग्राम संगठन कार्यालय                                     |
| 2  | आंगनबाड़ी केंद्र              | 20          | कूड़ेदान   |
| 3  | सामुदायिक हॉल                 | 21          | बुनाई केंद्र   |
| 4  | जल निकासी                     | 22          | पेयजल की सुविधा  |
| 5  | पंचायत भवन                    | 23          | पुस्तकालय  |
| 6  | बाजार/हाट बाजार               | 24          | कल्वर्ट  |
| 7  | स्ट्रीट लाइट                  | 25          | चारदीवारी  |
| 8  | सामुदायिक शौचालय              | 26          | वेटिंग शेड   |
| 9  | स्कूलों में शिक्षक            | 27          | मध्याह्न भोजन के प्रावधान                                |
| 10   | डीवर्मिंग                     | 28          | स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स                        |
| 11   | टीकाकरण के लिए प्रावधान       | 29          | मच्छरदानी  |
| 12   | हाथ धोने की सुविधाएं          | 30          | स्कूलों में यूनिफॉर्म                                    |
| 13   | अनाज भंडारण की सुविधाएं/गोदाम | 31          | सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को स्तनपान कराने के लिए कमरे |
| 14   | अनाज सुखाने का मचान           | 32          | उत्पादक समूहों के लिए सुविधा/सामान्य केंद्र              |
| 15   | हथकरघा लघु इकाइयां            | 33          | स्कूल फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)                 |
| 16   | महिला पुलिस अधिकारी           | 34          | उप केंद्रों के लिए उपकरण (दवाएं, सीरिंज, बीपी उपकरण)     |
| 17   | सैनिटरी पैड वैंडिंग मशीन      | 35          | सफाई कर्मचारी  |
| 18   | भट्ठी/क्रीमेटोरियम            | 36          | सांस्कृतिक केंद्र एवं क्लब                               |

149

संसाधन विकास की मांग

(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अधिक संदर्भ आधारित स्थानीय मांग को भी शामिल किया जा सकता है।)

| क्रम संख्या | मांग का विवरण                          | क्रम संख्या | मांग का विवरण    |
|-------------|--|-------------|------------------|
| 1           | तालाब                                  | 9           | कृषि बंध         |
| 2           | कुआँ                                   | 10          | रिंग वेल         |
| 3           | नदी के बंध                             | 11          | तटबंध            |
| 4           | वर्षा जल संचयन                         | 12          | चेक डैम          |
| 5           | ट्यूबवेल                               | 13          | भूमि विकास       |
| 6           | पौध रोपण (वृक्ष, आम, बांस, सुपारी आदि) | 14          | बोरवेल           |
| 7           | एलिफेंट ट्रेंच/हाथी खाई                | 15          | वन बाड़          |
| 8           | औषधीय पौधों की नर्सरी                  | 16          | झीलों का प्रबंधन |

8/



1. सार्वजनिक वस्तु एवं सेवाओं की गणना के लिए प्रारूप

| ग्राम संगठन का नाम : |               | समूह की संख्या : |            | ग्राम पंचायत का नाम :  |  |
|----------------------|---------------|------------------|------------|--|--|
| क्रम संख्या          | मांग का विवरण | स्थान            | नया/मरम्मत | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |  |
| 1                    |               |                  |            |  |  |
| 2                    |               |                  |            |  |  |
| 3                    |               |                  |            |  |  |
| 4                    |               |                  |            |  |  |
| 5                    |               |                  |            |  |  |

2. संसाधन विकास की मांग की गणना के लिए प्रारूप

| ग्राम संगठन का नाम : |               | समूह की संख्या : |            | ग्राम पंचायत का नाम :  |  |
|----------------------|---------------|------------------|------------|--|--|
| क्रम संख्या          | मांग का विवरण | स्थान            | नया/मरम्मत | प्राथमिकता का दर्जा (GP समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना है) |  |
| 1                    |               |                  |            |  |  |
| 2                    |               |                  |            |  |  |
| 3                    |               |                  |            |  |  |
| 4                    |               |                  |            |  |  |
| 5                    |               |                  |            |  |  |

सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट :

1. मांग का विवरण कॉलम में: मांग के विवरणों में बुनियादी सुविधाएँ या संसाधनों के विकास की मांग शामिल होनी चाहिए। उदाहरण- पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक कुआँ, टीकाकरण की व्यवस्था, हैंड वॉश की सुविधा आदि।
2. स्थान के कॉलम में : बुनियादी सुविधा या संसाधन विकास के स्थान में वार्ड का नाम और संख्या भी शामिल होनी चाहिए। उदाहरण : वार्ड संख्या और नाम 6, किशनगांव, रीता के घर से सुमन के घर तक।
3. नए/नवीनीकरण कॉलम में : मांग की प्रकृति बतायी जानी चाहिए । यदि उक्त मांग नई है तो प्रविष्टि नयी होगी। यदि उक्त मांग मरम्मत के लिए है तो प्रविष्टि मरम्मत की होगी।
4. प्राथमिकता का दर्जा कॉलम में : यह कॉलम केवल ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली समेकन और प्राथमिकता बैठक के दौरान भरा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन और प्राथमिकता बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के दौरान प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करने के लिए रैंकिंग अभ्यास किया जाएगा । सुनिश्चित करें कि SHG स्तर के डाटासंग्रह के दौरान इस कॉलम को खाली छोड़ दिया जाए।

5

## D. सामाजिक विकास योजना (SDP)

विषय: योजना के अंतर्गत उल्लिखित सामाजिक मुद्दे

1. भूमिका
2. योजना का उद्देश्य
3. चिन्हित किये गए मुद्दे के बारे में आंकड़े
4. हितग्राहियों की भूमिका
5. समाजिक मुद्दों के समाधान के लिए गतिविधियाँ
6. अपेक्षित बजट
7. आगे की कार्यवाही /निगरानी

| क्रम संख्या | सामाजिक मुद्दा          | गतिविधियाँ  |
|-------------|-------------------------|---|
| 1           | शराब की लत              | <ul style="list-style-type: none"><li>• अवैध शराब की दुकानों को बंद करना</li><li>• आजीविका के वैकल्पिक अवसर प्रदान करना</li><li>• थाने में शिकायत दर्ज करना</li><li>• नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं</li></ul> |
| 2           | नशीली दवाओं के दुरुपयोग | <ul style="list-style-type: none"><li>• परामर्श और चिकित्सा सेवाएं</li><li>• नशा मुक्ति केंद्रों के लिए रेफरल सेवाएं।</li><li>• सामुदायिक सतर्कता टीमों का गठन</li></ul>  |
| 3           | वयस्क साक्षरता          | <ul style="list-style-type: none"><li>• यदि कोई है तो ब्लॉक/जिला वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को जोड़ना</li></ul>   |

|   |                |  |
|---|----------------|--|
|   |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● वयस्क साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत</li> <li>● साक्षरता बढ़ाने के लिए पर्यावरण निर्माण जैसे सार्वजनिक स्थानों में कहावत के साथ पोस्टर चिपकाना</li> <li>● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से वयस्क साक्षरता कक्षाओं के लिए संसाधन जुटाना</li> <li>● खुले स्कूलों (Open School) में प्रवेश के लिए राज्य साक्षरता मिशन के साथ संबंध स्थापित करना</li> </ul>                                       |
| 4 | स्कूल ड्रॉपआउट | <ul style="list-style-type: none"> <li>● स्कूल प्रबंधन समिति की सक्रियता/पुनरुद्धार</li> <li>● स्कूल प्रबंधन समिति के माध्यम से स्कूलों में फिर से नामांकन</li> <li>● स्थानीय स्वशासन संस्थानों के माध्यम से स्कूल छोड़नेवालों के लिए संसाधन जुटाना</li> <li>● स्कूलों में लड़कियों की शिक्षकों, शौचालयों जैसी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना</li> <li>● मिड-डे मील योजनाओं जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना</li> <li>●</li> </ul> |
| 5 | कुपोषण         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में न्यूट्री-गार्डन/किचन गार्डन को प्रोत्साहित करना</li> <li>● स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच</li> <li>● आंगनबाड़ियों में बच्चों के वजन और ऊंचाई की नियमित निगरानी और गंभीर तीव्र कुपोषित, मध्यम तीव्र कुपोषित, गंभीर रूप से कम वजन वाले, मध्यम कम वजन वाली</li> </ul>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | <p>श्रेणियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के बच्चों की विशिष्ट पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● आंगनबाड़ियों में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, मातृ समिति जैसी विभिन्न समितियों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी सुनिश्चित करना</li> <li>● आंगनबाड़ियों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन जैसी सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना</li> <li>● नियमित अंतराल पर प्रतिरक्षण, डीवर्मिंग टैबलेट, आयरन, फोलिक गोलियों जैसी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना</li> </ul>   |
| 6 | <p>महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न आदि)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए मदद केंद्रों/जेंडर संसाधन केंद्रों की स्थापना।</li> <li>● महिलाओं के लिए असुरक्षित माने जानेवाले क्षेत्रों की ग्राम स्तरीय मैपिंग</li> <li>● महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन</li> <li>● एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद प्रकोष्ठों की स्थापना निकटतम पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की मांग</li> <li>● जेंडर के बारे में जानकारी देने के लिए कक्षाएं आयोजित करना</li> <li>● हिंसा में बचे लोगों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना</li> </ul> |

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|   |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   |
| 7 | बाल विवाह                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• समुदाय को संवेदनशील बनाना</li> <li>• पंचायत स्तर पर कानूनी मदद के लिए प्रकोष्ठों की स्थापना</li> <li>• 18 साल की उम्र तक बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना</li> </ul>  |
| 8 | पर्यावरण सम्बन्धित मुद्दे | <ul style="list-style-type: none"> <li>• पौधरोपण और सफाई अभियान चलाना</li> <li>• स्कूलों में पर्यावरण क्लबों को बढ़ावा देना</li> <li>• कपड़े के थैले के उपयोग के माध्यम से प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान शुरू करना</li> <li>• घरेलू स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management) का अभ्यास</li> <li>• पंचायत स्तर पर अपशिष्ट निपटान (Waste management) और प्रबंधन सुविधाओं की शुरुआत</li> <li>• आपदा प्रबंधन के लिए सामुदायिक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों का गठन</li> </ul> |
| 9 | दहेज़                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• कानूनी जागरूकता कक्षाओं का आयोजन</li> <li>• एलएसजी स्तर पर कानूनी मदद के प्रकोष्ठों की स्थापना</li> <li>• थाने में शिकायत दर्ज कराना</li> <li>• समुदाय का संवेदीकरण</li> <li>• जननी सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।</li> </ul>  |

|    |  |   |
|----|--|---|
| 10 | मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● थाने में शिकायत दर्ज कराना</li> <li>● कानूनी जागरूकता के लिए पुलिस स्टेशन के साथ गठजोड़</li> <li>● जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जीवित बचे लोगों के लिए एक लिंक स्थापित करना</li> <li>● सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं आदि के संबंध में मदद प्राप्त करने के लिए सहायता केंद्रों/जेंडर संसाधन प्रकोष्ठ की स्थापना।</li> </ul> |
| 11 | <p>सामाजिक बहिष्करण<br/>(बेघर व्यक्ति, ट्रांसजेंडर<br/>समुदाय के प्रवासी मजदूरों से<br/>संबंधित व्यक्ति, बंधुआ<br/>मजदूर, विशेष रूप से कमजोर<br/>आदिवासी समूह, सफाई कर्मी<br/>आदि)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● समुदाय का संवेदीकरण</li> <li>● जरूरी खाद्यान्न, कपड़े आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था।</li> <li>● उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों सहित बुनियादी हकदारियों तक पहुंचने में मदद करना।</li> <li>● मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले केंद्रों के साथ जोड़ना।</li> </ul>                          |

445

## सामाजिक विकास के लिए प्रशिक्षक का नोट

### योजना प्रारूप

#### भूमिका

ग्राम पंचायत/गाँव में चिह्नित किये गए मुद्दों को प्रस्तुत करना, ग्राम पंचायत व गाँव के नाम का वर्णन अनिवार्य है। गाँव में परिवार व कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या का यहाँ उल्लेख हो।

GP/VC/VDC/VA का नाम :

गाँव का नाम :

गाँव में कुल परिवारों की संख्या :

गाँवों में SHG की संख्या :

गाँव संगठन की संख्या :

चिह्नित किये गए मुद्दे के बारे में चर्चा का संक्षिप्त उल्लेख अनिवार्य है। मुद्दा क्या है और इसका समाधान क्यों अनिवार्य है इसका उल्लेख ज़रूरी है।

#### योजना का उद्देश्य

इस योजना को तैयार करने की वजह क्या है। मुख्य वजह है चिह्नित मुद्दे का हल निकालना और दूसरा उद्देश्य है इस योजना को GPDP योजना में समाहित करना। उद्देश्य का प्रारूप योजना में तैयार किए गए हस्तक्षेप की डिज़ाइन के अनुरूप भी तैयार किया जा सकता है। चिह्नित किये गए मुद्दे को समाज व अधिकारियों के समक्ष रखना भी उद्देश्य हो सकता है।

#### चिह्नित किये गए मुद्दे से संबंधित आंकड़े

चिह्नित किये गए सामाजिक मुद्दों को उदाहरण व आँकड़ों के साथ पेश करना हमेशा ज़रूरी होता है। इससे किसी चिह्नित मुद्दों की तीव्रता को दिखाने में मदद मिलती है। अगर यह ऐसा मुद्दा है जिसे गुणवत्ता की दृष्टि से मापा जा सकता है—

✓



उदाहरण के तौर पर बच्चों का स्कूल में पढ़ाई छोड़ देना/निरक्षर लोगों की संख्या/शराब के गैरकानूनी दुकान आदि। इन सभी आँकड़ों को योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

अगर ऐसी कोई घटना है जो चिह्नित सामाजिक मुद्दे का समर्थन कर सकता है तो उसे भी इस सत्र में शामिल कीजिए। इसे टेबल में किस तरह दिखाया जा सकता है इसका उदाहरण नीचे दिया गया है।

| गाँव का नाम | संख्या  |
|-------------|---|
|             | *चिह्नित सामाजिक मुद्दों से प्रभावित मामलों और लोगों की संख्या दर्ज करें। |
|             |   |
|             |   |

### हितग्राहियों की जिम्मेदारी

इस सत्र में सभी लाभार्थियों के नाम व चिह्नित किये गए मुद्दों के समाधान में उनकी भूमिका की चर्चा होगी। SHG नेटवर्क, LSG, और संबंधित विभाग के लोग मुख्य हितग्राही होंगे और उनकी जिम्मेदारियां यहाँ दर्ज होनी चाहिए।

| हितग्राहियों के नाम | हितग्राहियों की भूमिका |
|---------------------|------------------------|
| GPs/ VCs/VDCs/VAs   |                        |
| SHG                 |                        |
| ग्राम संगठन         |                        |
| संबंधित लाइन विभाग  |                        |

### सामाजिक मुद्दे के समाधान हेतु गतिविधियाँ

इस सत्र में उन गतिविधियों की सूची रखी जा सकती है जो SHG ने मुद्दे के समाधान के लिए प्लान किया है। गतिविधियों की समय सीमा तय की जा सकती है। ग्राम संगठन उन गतिविधियों की भी चर्चा कर सकते हैं जो दूसरे हितग्राही भी आयोजित कर सकते हैं।

| आयोजित गतिविधि | गतिविधि की जिम्मेदारी/गतिविधियों के आयोजक | गतिविधि की समय सीमा |
|----------------|---|---------------------|
|                |   |                     |
|                |   |                     |
|                |   |                     |

### अपेक्षित बजट (अगर इसकी ज़रूरत हो तो)

चूँकि यह कम बजट/ बिना लागात वाली योजना है, इसलिए इसमें बजट सभी योजना के लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ मुद्दों को हल करने में पैसे का खर्च नहीं है और इन्हें हितग्राहियों के उचित हस्तक्षेप से हल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सामाजिक मुद्दा ऐसा है जिसमें थोड़ा खर्च ज़रूरी है तो इस सत्र में इसकी चर्चा की जा सकती है। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए की अनुमानित बजट का जिक्र हो।

| जिन सामानों की ज़रूरत है | प्रति इकाई लागत | ज़रूरी इकाई की संख्या | कुल खर्च |
|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
|                          |                 |                       |          |
|                          |                 |                       |          |
| कुल बजट                  |                 |                       |          |

### आगे की कार्यवाही / निगरानी

योजना को पेश करने के बाद ज़रूरी है कि ग्राम संगठन उसके आगे की कार्यवाही पर ध्यान दे और इनकी निगरानी करे। इसके लिए ग्राम संगठन योजना के अन्य सदस्य हितग्राहियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस सत्र में आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। इसमें हितग्राहियों के साथ मीटिंग, गतिविधियों का आयोजन, गतिविधियों को अच्छे से संचालन, स्थिति की जांच करना, आदि शामिल हैं।

## ग्राम पंचायत स्तरीय डाटा शरांश शीट

ग्राम संगठन से एकत्रित हुए सभी चार आंशिक योजनाओं के आँकड़ों  
का ग्राम पंचायत स्तर पर समेकन

A. हकदारी योजना

B. आजीविका योजना

C. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ एवं संसाधन विकास योजना

D. सामाजिक विकास योजना

*m*

*AA*

## अनुक्रमणिका

| क्रम संख्या | योजना का नाम                            | पृष्ठ संख्या |
|-------------|---|--------------|
| 1           | मूल सूचना                               |              |
| 2           | वर्तमान स्थिति और आनेवाले वर्ष की योजना |              |
| 3           | ग्राम संगठन समरी शीट- हकदारी योजना      |              |
| 4           | SHG स्तरीय माँग हकदारी योजना            |              |
| 5           | ग्राम संगठन समरी शीट - आजीविका योजना    |              |
| 6           | SHG स्तरीय माँग - आजीविका योजना         |              |
| 7           | सार्वजनिक वस्तु, सेवाएं और संसाधन योजना |              |
| 8           | सामाजिक विकास योजना                     |              |

## ग्रामीण गरीबी उन्मूलन योजना 2021-2022

| बुनियादी जानकारी                 |  |
|----------------------------------|--|
| ग्राम पंचायत                     |  |
| ब्लॉक                            |  |
| जिला                             |  |
| राज्                             |  |
| ग्राम संगठन की संख्या            |  |
| ग्राम पंचायत में वार्ड की संख्या |  |

O

447

वर्तमान स्थिति

| क्रम संख्या | स्थिति  | संख्या |
|-------------|---|--------|
| 1           | पंचायत के अधिकारक्षेत्र में कुल घरों की संख्या          |        |
| 2           | SHG के तहत आनेवाले कुल घरों की संख्या                   |        |
| 3           | SHG की कुल मौजूदा संख्या                                |        |
| 4           | ऐसे SHG की कुल संख्या जिन्हें सचल राशि (RF) प्राप्त हुआ |        |
| 5           | ऐसे SHG की कुल संख्या जिन्हें बैंक ऋण प्राप्त हुआ       |        |

अगले वर्ष के लिए योजना

| क्रम संख्या | योजना  | संख्या |
|-------------|--|--------|
| 1           | ऐसे घरों की कुल संख्या जिन्हें SHG से जोड़े जाने हैं |        |
| 2           | ऐसे SHG की संख्या जिन्हें RF दिए जाने हैं            |        |
| 3           | ऐसे SHG की संख्या जो बैंक ऋण प्राप्त करेंगे          |        |

m✓

## A. हक़दारी योजना

| क्रम संख्या | हक़दारी/पात्रता योजना का नाम                   | कुल लाभार्थियों की संख्या/<br>काम |
|-------------|--|-----------------------------------|
| 1           | मनरेगा जॉब कार्ड                               |                                   |
| 2           | मनरेगा व्यक्तिगत कार्य (कार्य की संख्या लिखें) |                                   |
| 3           | मनरेगा सामूहिक कार्य (कार्य की संख्या लिखें)   |                                   |
| 4           | वृद्धावस्था पेंशन                              |                                   |
| 5           | विधवा पेंशन                                    |                                   |
| 6           | विकलांग पेंशन                                  |                                   |
| 7           | एसबीएम   |                                   |
| 8           | स्वास्थ्य कार्ड                                |                                   |
| 9           | राशन कार्ड                                     |                                   |
| 10          | उज्ज्वला                                       |                                   |
| 11          | सौभाग्य  |                                   |
| 12          | प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना               |                                   |
| 13          | प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना           |                                   |
| 14          | प्रधान मंत्री आवास योजना                       |                                   |

1991

## आजीविका योजन

| क्रम संख्या | क्षेत्र       | कुल व्यक्तिगत मांग की संख्या | कुल सामूहिक मांग की संख्या | कुल मदद की आवश्यकता |
|-------------|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1           | खेती          |                              |                            |                     |
| 2           | पशुपालन       |                              |                            |                     |
| 3           | सूक्ष्म उद्यम |                              |                            |                     |

2

### C. सार्वजनिक वस्तु, सेवाएँ और संसाधन विकास

(यह सूची एक सुझाव के तौर पर है। संदर्भ आधारित स्थानीय मांग को भी शामिल किया जा सकता है।)

| क्रम संख्या | क्षेत्र                | कुल मांग की संख्या |
|-------------|------------------------|--------------------|
| 1           | सड़क                   |                    |
| 2           | आंगनवाडी केन्द्र       |                    |
| 3           | सामुदायिक भवन          |                    |
| 4           | जल निकासी              |                    |
| 5           | पंचायत भवन             |                    |
| 6           | बाजार/हाट बाजार        |                    |
| 7           | स्ट्रीट लाइट           |                    |
| 8           | सामुदायिक शौचालय       |                    |
| 9           | स्कूलों में शिक्षक     |                    |
| 10          | डीवर्मिंग              |                    |
| 11          | ग्राम संगठन कार्यालय   |                    |
| 12          | कूड़ेदान               |                    |
| 13          | बुनाई केंद्र           |                    |
| 14          | पीने के पानी की सुविधा |                    |
| 15          | पुस्तकालय              |                    |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 16 | पुलिया  |  |
| 17 | चारदीवारी   |  |
| 18 | वेटिंग शेड  |  |
| 19 | मध्याह्न भोजन के प्रावधान   |  |
| 20 | स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ नर्स                                   |  |
| 21 | मच्छरदानी   |  |
| 22 | तालाब   |  |
| 23 | हाथ धोने की सुविधाएं  |  |
| 24 | स्कूलों में यूनिफॉर्म   |  |
| 25 | अनाज भंडारण सुविधाएं/गोदाम  |  |
| 26 | अनाज सुखाने का मचान   |  |
| 27 | हथकरघालघु इकाइयां   |  |
| 28 | महिला पुलिस अधिकारी   |  |
| 29 | सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें  |  |
| 30 | क्रीमेटोरियम  |  |
| 31 | सार्वजनिक स्थानों पर बच्चे को स्तनपान कराने के कमरे (Breastfeeding) |  |
| 32 | उत्पादक समूहों के लिए सुविधा/सामान्य केंद्र                         |  |
| 33 | स्कूल फर्नीचर (डेस्क, बेंच, ब्लैक बोर्ड)                            |  |
| 34 | उप केंद्र के लिए उपकरण - (दवाएं, सीरिंज, बीपी उपकरण)                |  |
| 35 | सफाई कर्मचारी   |  |

|    |                                       |  |
|----|---------------------------------------|--|
| 36 | सांस्कृतिक केंद्र और क्लब             |  |
| 37 | कुआँ                                  |  |
| 38 | नदी के बंध                            |  |
| 39 | वर्षा जल संचयन                        |  |
| 40 | चापाकल (हैंडपंप)                      |  |
| 41 | पौधरोपण (वृक्ष, आम, बांस, सुपारी आदि) |  |
| 42 | कृषि बंध                              |  |
| 43 | रिंग कुआँ                             |  |
| 44 | तटबंध                                 |  |
| 45 | चेक डैम                               |  |
| 46 | भूमि विकास                            |  |
| 47 | बोरवेल                                |  |
| 48 | वन बाड़                               |  |
| 49 | झीलों का प्रबंधन                      |  |
| 50 | एलीफेंट ट्रेंच                        |  |
| 51 | औषधीय पौधों की नर्सरी                 |  |

### D. सामाजिक विकास

(यह सूची सुझाव के तौर पर है। अन्य संदर्भ आधारित स्थानीय मांग को भी शामिल किया जा सकता है।)

| विषय  | प्रस्तुत की गई योजना की संख्या |
|---|--------------------------------|
| शराब की लत  |                                |
| नशीली दवाओं की आदत  |                                |
| वयस्क साक्षरता  |                                |
| स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चे   |                                |
| कुपोषण  |                                |
| महिलाओं के खिलाफ हिंसा (घरेलू हिंसा, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न आदि)  |                                |
| बाल विवाह   |                                |
| पर्यावरण संबंधित मुद्दे   |                                |
| दहेज़   |                                |
| मानव तस्करी (बाल तस्करी सहित)   |                                |
| सामाजिक बहिष्करण<br>(डायन कहकर प्रताड़ित किए गए, बेघर व्यक्तियों, ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों आदि) |                                |
| पेश की गई सामाजिक विकास योजना की कुल संख्या   |                                |

४४

# आजीविका सर्वेक्षण प्रपत्र ( प्रशिक्षण हेतु)

## क - व्यक्तिगत विवरणी

1. सदस्य की ID संख्या -

2. सदस्य का नाम - .....

- अगर यह सदस्य इस समूह का नहीं है तो कृपया टिक करें

3. मोबाइल संख्या .....

4. पंचायत का नाम - .....

5. गाँव का नाम - .....

6. ग्राम संगठन - .....

7. पिता / पति का नाम - .....

8. क्या अपने कभी CRP के रूप में कार्य किया है - हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

9. क्या ग्राम संगठन द्वारा आपका चयन सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किया गया है? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

10. क्या आपने स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता पर कभी प्रशिक्षण प्राप्त किया है? हाँ/ना

(कृपया वास्तव में लिखें)

11. क्या आपने ग्राहक सेवा केंद्र से कभी पैसा जमा अथवा निकासी किया है? हाँ/ना (कृपया

वास्तव में लिखें)

12. परिवार में कुल सदस्यों की संख्या -

पुरुष -

महिला -

बच्चे -

### ख - कृषि से संबंधित विवरणी

1. क्या आपका परिवार कृषि से संबंधित गतिविधि करता है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

2. आपके पास कितना कठ्ठा खेत है .....

3. आपके पास बटाई पर कितना कठ्ठा खेत है .....

4. आपके पास पट्टा ( Lease/ हुंडा ) पर कितना कठ्ठा खेत है .....

5. आपके खेत में किन किन फसलों का उत्पादन होता है ? (टिक करें )

• धान

• गेहूं

• दलहन

• तेलहन

• सब्जी

• फल

• व्यवसायिक फसल ( गन्ना , तम्बाकू , जुट आदि )

• ऋतू आधारित फसल ( मक्का / अन्य )

6. क्या आपके खेत में सिंचाई की सुविधा है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

हाँ की स्थिति में निचे के बॉक्स में टिक करें -

• नहर

ट्यूबवेल

ग . पशुधन से सम्बंधित विवरणी

1. क्या आपका परिवार पशुपालन से संबंधित गतिविधि करता है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

2 क्या घर में कोई पशुधन उपलब्ध है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

3. क्या दुग्ध उत्पादन किया जाता है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

हाँ की स्थिति में -

- गायों की संख्या -
- भैंसों की संख्या -
- प्रतिदिन औसतन दुग्ध उत्पादन (लीटर में)-

4. क्या आपका परिवार दुग्ध व्यवसाय का कार्य करता है ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

यदि हाँ तो दुग्ध आप कहाँ विक्रय करती है -

- दुग्ध को-ओपरेटिव सोसाइटी -
- प्राइवेट -

5. क्या आप बकरी पालन करती हैं ? हाँ/ना (कृपया वास्तव में लिखें)

- यदि हाँ तो आपके पास कितनी बकरी है -

6. क्या आप बकरी का व्यवसाय करती हैं ? हां / ना (कृपया वास्तव में लिखें)

7. क्या आप मतस्य पालन करती हैं ? हां / ना (कृपया वास्तव में लिखें)

m

हाँ की स्थिति में -

- अपनी पोखर की संख्या -.....
- रकवा ( कट्टे में )- .....
- बटाई पर पोखर की संख्या -.....
- रकवा ( कट्टे में )- .....
- औसतन मछली उत्पादन ( वार्षिक ) किलोग्राम में -.....

8. क्या आप मुर्गी पालन करती हैं ? हां / ना (कृपया वाक्य में लिखें)

हाँ की स्थिति में -

- मुर्गियों की संख्या -.....

9. क्या आपके पास कोई अन्य पशुधन उपलब्ध है ? हां / ना (कृपया वाक्य में लिखें)

हाँ की स्थिति में

| पशुधन का नाम | संख्या |
|--------------|--------|
| भेड़         |        |
| सूअर         |        |
| बत्तख        |        |
| अन्य         |        |





घ . गैर कृषि ( नॉन फार्म ) संबंधित विवरणी

1. क्या आपका परिवार कोई व्यक्तिगत व्यवसाय करता है ?

हां की स्थिति में नीचे के बॉक्स में टिक करें -

- व्यक्तिगत एंटरप्राइज
- स्थाई दूकान
- अस्थायी दूकान / फेरी
- मजदूरी
- अन्य

2. क्या आपके यहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है ?

हां की स्थिति में नीचे के बॉक्स में टिक करें -

- खाध्य पदार्थ
- अन्य

3. उत्पादक यूनिट जहाँ उत्पादन का कार्य किया जाता है ?

- मशीन आधारित निर्माण यूनिट
- हस्त निर्मित निर्माण यूनिट

4. आपके उत्पादन कार्यों में कितने लोग काम करते हैं ? संख्या लिखें -

~



ड- कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार ( Skill & Job ) से संबंधित विवरणी

1. क्या परिवार का कोई सदस्य नौकरी करता है ?

हां की स्थिति में नीचे के बॉक्स में टिक करें -

• सरकारी

• प्राइवेट

2. नौकरी का स्थान -

• बिहार में

• बिहार के बाहर

3. क्या परिवार का कोई सदस्य जिसकी उम्र 18-35 वर्ष का हो , रोजगारोंमुखी

प्रशिक्षण लेना चाहता है ? हाँ / ना

4. आपके परिवार की मासिक आमदनी कितनी है ?

✓



च. अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ाव से सम्बंधित विवरणी

1. आपके परिवार में वृद्ध सदस्यों ( 60 वर्ष से अधिक ) की संख्या -.....

2. परिवार में वृद्धा पेंशन कार्ड की संख्या -.....

3. क्या आपके परिवार में कोई विधवा सदस्य है - हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

हाँ की स्थिति में क्या उनका विधवा पेंशन कार्ड बना है .....

4. क्या आपके परिवार में कोई विकलांग सदस्य है - हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

हाँ की स्थिति में क्या उनका विकलांग पेंशन कार्ड बना है .....

5 . क्या परिवार के पास स्वास्थ्य कार्ड ( आयुष्मान भारत कार्ड ) है ? हाँ/ ना (वास्तव में लिखें)

6 आपका मकान कैसा है ?

• कच्चा

• पक्का

7. क्या आपके घर में कोई शौचालय है ? हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

8 क्या आपके घर में बिजली की उपलब्धता है ? हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

9. क्या आपका जीवन बीमा हुआ है ? हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

10. क्या आपके परिवार के सदस्यों को कोविड-19 ( कोरोना) का टीका लगा है ?

हाँ / ना (वास्तव में लिखें)

यदि हाँ तो सदस्यों की संख्या जिन्हें टीका लगा है -

11. स्वयं सहायता समूह के बैठक का फोटो ( एप से )

फोटो

✓